रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—78 REGISTERED NO. D-(D)—78

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 1978 (श्रावण 28, 1900)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 1978 (SRAVANA 28, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## PART III—SECTION 1

## उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

## [Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 जून 1978

सं० ए० 32016/2/78-प्रशा०-II—सचिव, संघ लोक सेवा आयोग एतद्द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्थायी अनुसंधान सहायक (अनु० एवं सां०) तथा स्थानापन्न अनुसंधान अन्वेषक श्री रामसिंह को, श्रीमती राज कुमारी आनन्द, कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनु० एवं सां०) को अवकाश स्वीकृत किए जाने के कारण उनके स्थान पर 26-6-1978 से 25-9-1978 तक की अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, आयोग के कार्यालय में कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (अनु० एवं सां०) के पद पर स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त करते है।

प्र० ना० मखर्जी,
उप सचिव,
कृते सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 20 जुलाई 1978

सं० ए० 32014/1/78-प्रशा०-I—संघ लोक सेवा आयोग के संवर्ग में स्थायी वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ग) तथा इस समय स्टेनोग्राफर ग्रेड ग के चयन ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्यरत श्री एस० पी० मेहरा को, जिन्हें इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 15-5-78 के द्वारा तदर्थ और पूर्णतः अस्थायी आधार पर 30-6-78 तक स्थानापन्न वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक नियुक्त किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा 1-7-78 से 31-8-78 तक दो महीने की अवधि के लिए, या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी संवर्ग में वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा का ग्रेड ख) के पद पर पूर्णतः अनन्तिम, अस्थायी तथा तदर्थ आधार पर, स्थानापन्न रूप में कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मेहरा यह नोट कर लें कि वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (के० स० स्टे० से० का ग्रेड ख) के पद पर उनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी और तदर्थ आधार पर है और के० स० स्टे० से० के ग्रेड ख में उनके विलयन का या उक्त ग्रेड में

वरिष्ठता का कोई हक नहीं होगा। उनकी नियुक्ति कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुमोदन की शर्तों पर ही होगी।

प्र० ना० मुखर्जी,
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

---

नई दिल्ली-110011, दिनांक 21 जुलाई 1978

सं० ए० 32014/1/78-प्रशा० III (1)—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एन० के० ढिंगरा को राष्ट्रपति द्वारा 1-7-78 से 16-8-78 तक 47 दिन की अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर, कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

सं० ए० 32014/1/78-प्रशा०-III (2)—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों को राष्ट्रपति द्वारा, प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से, तदर्थ आधार पर, कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

| क्रम सं० | नाम | अवधि जिसके लिए अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया गया |
|---|---|---|
| 1. | श्री के० एल० शर्मा | 1-8-78 से 31-10-78 की अतिरिक्त अवधि के लिए। |
| 2. | श्री एच० एस० भाटिया | 1-8-78 से 31-10-78 की अतिरिक्त अवधि के लिए। |
| 3. | श्री आई० जे० शर्मा | 1-8-78 से 31-10-78 की अतिरिक्त अवधि के लिए। |
| 4. | श्री बी० आर० बसरा | 18-7-78 से 29-9-78की अतिरिक्त अवधि के लिए। |
| 5. | श्री आर० के० जसूजा | 16-7-78 से 28-8-78 की अतिरिक्त अवधि के लिये। |
| 6. | श्री आर० के० मागो | 9-7-78 से 31-8-78 की अतिरिक्त अवधि के लिए। |
| 7. | श्री एस० एन० शर्मा | 8-7-78 से 28 8-78 की अतिरिक्त अवधि के लिए। |
| 8. | श्री जी० मद्राजन | (i) 8-7-78 से 12-7-78 की अतिरिक्त अवधि के लिए (ii) 17-7-78 से 31-8-78 (46 दिन) के लिए। |
| 9. | श्री जय नारायण | 8-7-78 से 29-7-78 की अतिरिक्त अवधि के लिए |

सं० ए० 32014/1/78-प्रशा० III (3)—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री एस० आर० खन्ना को, राष्ट्रपति द्वारा 13-7-78 से 27-8-78 तक 46 दिन की अवधि के लिए, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उक्त सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में स्थानापन्न रूप से, तदर्थ आधार पर, कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

दिनांक 25 जुलाई 1978

सं० ए० 11016/1/76-प्रशा० III—संघ लोक सेवा आयोग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा उनके सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में डैस्क अधिकारी के कार्य करने के लिये नियुक्त किया जाता है।

| क्रम सं० | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री बी० एस० जगोपोता | 30-6-78 से 28-2-79 तक। |
| 2. | श्री बी० एस० कपूर | 1-7-78 से 28-2-79 तक। |
| 3. | श्री जे० पी० गोयल | 1-7-78 से 28-2-79 तक। |
| 4. | श्री आर० एन० खुराना | 16-7-78 से 28-2-79 तक |
| 5. | श्री एस० श्रीनिवासन | 16-7-78 से 28-2-79 तक। |
| 6. | श्री डी० पी० राय | 18-7-78 से 28-2-79 तक। |

2. का० तथा प्र० सु० विभाग के का० ज्ञापन सं० 12/1/74-सी० एस० (I) दिनांक 11-12-75 की शर्तों के अनुसार ऊपरलिखित अधिकारी रु० 75 प्रति माह विशेष वेतन लेंगे।

दिनांक 31 जुलाई 1978

सं० ए० 12025 (II)/1/77-प्रशा० III—संघ लोक सेवा आयोग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री जी० नटराजन को जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग की अधिसूचना सं० ए० 32014/1/78-प्रशा० III दिनांक 21 जुलाई, 1978 द्वारा तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, पेट्रोलियम, केमिकल्स तथा फर्टिलाइजर मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) में अनुभाग अधिकारी के पद पर नामित कर दिये जाने के परिणामस्वरूप 31 जुलाई, 1978 के अपराह्न से संघ लोक सेवा आयोग के

कार्यालय के अनुभाग अधिकारी के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है।

प्र० ना० मुखर्जी,
अवर सचिव
(प्रशासन प्रभारी)
संघ लोक सेवा आयोग

---

नई दिल्ली-110011, दिनांक 17 जुलाई 1978

सं० ए० 32013/2/77-प्रशा० I (ii)—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आकाशवाणी महानिदेशालय में सहायक योजना अधिकारी तथा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय मे स्थानापन्न अवर सचिव, श्री वी० एन० वैद्यनाथन को अद्यतन संशोधित संघ लोक सेवा आयोग (कर्मचारी वर्ग) नियमावली, 1958 के विनियम 7 के साथ पठित विनियम 4 के परन्तुक के अधीन 17-7-1978 के पूर्वाह्न से 16-10-1978 तक, अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय मे उप सचिव के पद पर स्थानापन्न रूप से तदर्थ आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 21 जुलाई 1978

सं० ए० 12025/1/77-प्रशा० II—अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा श्री प्रदीप मेहता को 7-7-1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में इंजीनियर के अस्थायी पद पर नियुक्त किया जाता है।

प्र० ना० मुखर्जी,
अवर सचिव,
कृते अध्यक्ष
संघ लोक सेवा आयोग

---

गृह मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई 1978

सं० ए०-19021/10/78-प्रशा०-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री डी० मुखर्जी, भारतीय पुलिस सेवा (1971-तमिलनाडु) को दिनांक 30-6-78 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के रूप में नियुक्त करते है।

सं० ए० 19021/11/78-प्रशा०-5—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से श्री पी० अनन्तसयनम् रेड्डी, भारतीय पुलिस सेवा (1968—आ० प्र०) को दिनांक 12-7-78 के अपराह्न से अगले आदेश तक के लिये केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते हैं।

के० के० पुरी,
उप-निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० के०-17/74-प्रशासन-5—केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने पर श्री के० के० बजाज, मुख्य तकनीकी अधिकारी (लेखा एवं आय-कर), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की सेवाएं दिनांक 26 जून, 1978 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को वापस सौंप दी गई हैं।

दिनांक 31 जुलाई 1978

सं० बी० 5/74-प्रशासन-5—प्रत्यावर्तन हो जाने पर, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अहमदाबाद में प्रतिनियुक्त गुजरात राज्य पुलिस के अधिकारी श्री बी० के० गिल, पुलिस उप-अधीक्षक, की सेवाएं दिनांक 1-7-78 (पूर्वाह्न) से राज्य सरकार को वापस सौंपी जाती हैं।

2. अधिसूचना संख्या बी०-5/74-प्रशासन-5, दिनांक 14-7-78 को, एतद्द्वारा, रद्द किया जाता है।

दिनाक 1 अगस्त 1978

सं० ए०-19036/9/78-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, तमिलनाडु राज्य से प्रतिनियुक्त निरीक्षक श्री एस० जे० सरगुनार को दिनांक 14-7-78 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए स्थानापन्न पुलिस उप-अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना, मद्रास के रूप में नियुक्त करते है।

सं० 19036/14/78-प्रशासन-5—निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, श्री एम० पी० सिंह, पुलिस निरीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को दिनांक 14-7-78 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो म अस्थायी रूप से स्थानापन्न पुलिस उप-अधीक्षक के रूप मे प्रोन्नत करते हैं।

महेन्द्र कुमार अग्रवाल,
प्रशासन अधिकारी (लेखा)

---

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० ए०-31013/3/75-प्रशासन-1—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से डी० ए० एन० आई० पुलिस से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में प्रतिनियुक्त स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक श्री बद्री शर्मा को दिनांक 1-7-78 (पूर्वाह्न) से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में, स्थायी समाहृति हो जाने पर, मूल रूप से पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते है।

सं० ए०-31013/3/75-प्रशासन-1—राष्ट्रपति अपने प्रसाद से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना के निम्नलिखित स्थानापन्न पुलिस अधीक्षको को दिनांक 1-7-78

(पूर्वाह्न) से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापना में मूल रूप से पुलिस अधीक्षक नियुक्त करते है —

श्री राघुवेन्द्र नारायण सिन्हा
श्री पी० एस० महादेवन
श्री रेवेन्द्र नारायण सिन्हा

जरनैल सिंह
प्रशासन अधिकारी (स्था०)

---

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110024, दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० ई०-38013/3/1/78-कार्मिक—कलकत्ता को स्थानान्तरण होने पर, श्री एन० के० खजुरिया ने 17 जून, 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट, डी० एस० पी० दुर्गापुर के सहायक कमांडेंट पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई०-16013(1)/1/78-कार्मिक—प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति होने पर, श्री के० एल० दीवान, आई० पी० एस० (हरियाणा-57) ने दिनांक 29 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से के० औ० सु० ब० मुख्यालय में उप महानिरीक्षक (व्यवस्था तथा वि० ब० नि०) के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।

सं० ई०-16014 (1)/18/73-कार्मिक—श्री वी० वी० सरदाना, भा० पु० से० (मणिपुर त्रिपुरा काडर), सहायक महानिरीक्षक (कार्मिक), के० औ० सु० ब० मुख्यालय नई दिल्ली ने, अपने राज्य काडर को प्रत्यावर्तित होने से पहले अवकाश पर जाने पर, 10 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से पद का कार्यभार छोड़ दिया।

रा० च० गोपाल
महानिरक्षक

---

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त, 1978

सं० 5532 रा० स्था०/एस०-28 दिनांक 22-12-77—श्री एस० मंजूर-ए-मुस्तफा, भा०ले० तथा ले०प० सेवा 30-11-77 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० 1, रा०स्था० 1/121-77 दिनांक 2-1-78—भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने भा० लै० तथा ले० प० सेवा के वरिष्ठ समय मान के अधिकारी श्री विजयकुमार को कृषि और सिंचाई मंत्रालय, सिंचाई विभाग नई दिल्ली में उप-सचिव का पद धारण करते हुए मू० नि० 30 (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन 20-12-1977 से आगे आदेश मिलने तक भा० ले० तथा ले० प० के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान 1500-60-1800-100-2000 रु०) में स्थानापन्न रूप में सहर्ष पदोन्नत किया है।

सं० 861-रा०स्था०-1/121-77 दिनांक 27-2-78—भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक भा० ले० तथा ले० प० सेवा के वरिष्ठ समयमान के अधिकारी श्री पी० के ब्रह्म को रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग) में उप सचिव का पद धारण करते हुए यू० नि० 30 (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन 20 जनवरी, 1978 से आगे आदेश मिलने तक भा० ले० तथा ले० प० सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वेतनमान 1500-60-1800-100-2000 रु०) में स्थानापन्न रूप में सहर्ष पदोन्नत किया है।

सं० 929 रा० स्था० 1/एस०-121/पी० एफ० भाग-II, दिनांक 4-3-78—अधिवार्षिकी आयु हो जाने पर श्री जी० सी० शुक्ला दास, भा० ले० तथा ले० प० सेवा 28 फरवरी, 1978 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० 900 रा० स्था० 1/सी०-24/पी० एफ० भाग-II, दिनांक 4-3-78—अधिवार्षिकी आयु हो जाने पर श्री ई० वी० चन्द्रशेखरन, भा० ले० तथा ले० प० सेवा 28 फरवरी 1978 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

सं० 1536 रा० स्था० 1/84-78 दिनांक 13-4-78—भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने भा० ले० तथा ले० प० सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के सामने दिए गए पदों को धारण करते हुए मू० नि० 30 (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन, आगे आदेश मिलने तक, महालेखाकार स्तर-II ग्रेड (वेतनमान 2250-125/2-2500 रु०) में स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों से सहर्ष पदोन्नत किया है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. श्री एस० जी० स्टीफन | संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, (रक्षा एवं आपूर्ति विभाग), नई दिल्ली। | 3-9-77 |
| 2. श्री के० एल० त्रिगन | वित्त निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ। | 22-11-77 |

सं० 1981-रा० स्था०-1/आर०-72/पी० एफ० भाग-II, दिनांक 9-5-78—श्री वी० एन० रामराव, भा० ले० तथा ले० प० सेवा 30 अप्रैल, 1978 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हो गए।

सं० 2788-रा० स्था०-1/आर०-14/पी० एफ० भाग-V, दिनांक 29-6-78—श्री एम० रामास्वामी, भा० ले० तथा ले० प० सेवा का 18 नवम्बर, 1977 से उनका इंजीनियर्स इन्डिया लि०

में लोक हित में स्थायी रूप से विलय हो जाने के परिणाम-स्वरूप उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा (पेशन) नियमावली 1972 के नियम 37 के अनुसार उसी तारीख से सरकारी सेवा से निवृत्त हुआ मान लिया गया है।

सं० 2910-रा० स्था० 1/आर० 20/पी० एफ० दिनांक 4-7-78—श्री जी० रामचन्द्रन, भा० ले० तथा ले० प० 30 जून, 1978 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

एम० एम० बी० अन्नावी
सहायक नियंत्रक महालेखा परीक्षक
(कार्मिक)

---

कार्यालय महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व,

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1978

सं० प्रशासन-1/का० आ० 224/5-5/पदोन्नति/77-79/797—वार्धक्य निवर्तन की आयु पूरी कर लेने के परिणाम-स्वरूप इस कार्यालय के निम्नलिखित लेखा अधिकारी 31 जुलाई, 1978 के अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

1. श्री जे० आर० शर्मा (स्थायी लेखा अधिकारी)
2. श्री जीवन्दा राम (स्थायी अधिकारी और स्थानापन्न लेखाधिकारी)।

ह० अपठनीय
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

---

कार्यालय महालेखाकार, महाराष्ट्र-1

बम्बई-400020, दिनांक 20 जुलाई 1978

सं० प्रशासन-1/आलेवि०/31-खण्ड 3/सी० 1 (1)/4—महालेखाकार महाराष्ट्र-1 बम्बई, अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट किये गये दिनांक से आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

| क्रम सं० | नाम | | दिनांक |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री जे० रामम्र्ति | . | 4-7-78 (अपराह्न) |
| 2. | श्री व्हि० ए० चावजी | . | 23-6-78 (पूर्वाह्न) |
| 3. | श्री पी० पी० वाणी | . | 19-6-78 (पूर्वाह्न) |
| 4. | श्री व्हि० के० जोशी | . | 16-6-78 (पूर्वाह्न) |
| 5. | श्री वाय्० वरद राव | . | 16-6-78 (अपराह्न) |
| 6. | श्री वाय्० बी० दीक्षित | . | 26-6-78 (पूर्वाह्न) |
| 7. | श्री बी० जी० तायडे | . | 16-6-78 (पूर्वाह्न) |

आर० कृष्णन कुट्टी
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशा०)

---

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डनेन्स एवं आर्डनेन्स उपस्कर फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० 178/ए०/एम०—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर, निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारीगण प्रत्येक के सामने दर्शायी गई तारीख से, सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हुए —

(1) श्री सी० एल० मैत्रा, 1-1-1978
स्थायी सहायक चिकित्सा अधिकारी,
आर्डनेन्स फैक्टरी,
मुरादनगर।

(2) डा० एस० डी०, 30-4-1978
स्थायी सहायक चिकित्सा अधिकारी,
आर्डनेन्स फैक्टरी,
देहरादून।

पी० एन० लिखा
ब्रिगेडियर
निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं
कृते महानिदेशक, आर्डनैन्स फैक्टरियां

---

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय रक्षा लेखा महा नियंत्रक,

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1978

सं० 40011(2)/78/प्रशा०-ए०—(1) वार्धक्य निवर्तन की आय प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख के अपराह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया/ जाएगा।

| क्रम० सं० | नाम, रोस्टर संख्या सहित | ग्रेड | पेंशन स्थापना को अन्तरण की तारीख | संगठन |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | सर्व श्री | | | |
| 1. | एच० एल० अरोड़ा, (पी०/45) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-3-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ। |
| 2. | के० यशरामन, (पी०/68) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-3-1978 | रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक, (निधि) मेरठ। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|---|---|---|---|---|
| सर्वश्री | | | | |
| 3. | जी० डी० गोयल, (पी०/207) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-4-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ। |
| 4. | ओ० पी० गुप्ता, (पी०/223) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-4-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ। |
| 5. | वी० कृष्ण मूर्ति, (पी०/295) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-3-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास। |
| 6. | वी० राधाकृष्णन, (पी०/358) | स्थायी लेखा अधिकारी | 30-4-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना। |
| 7. | आर० एल० कालरा (पी०/361) | स्थायी लेखा अधिकारी | 31-3-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्ट्रीज) कलकत्ता। |
| 8. | एच० के० शर्मा, (ओ०/5) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 6-2-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ। |
| 9. | रामजी लाल भारद्वाज, (ओ०/133) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 28-2-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्ट्रीज), कलकत्ता। |
| 10. | आडमा राम चटर्जी, (ओ०/173) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 30-4-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्ट्रीज), कलकत्ता। |
| 11. | एस० वेंकट रामन, (ओ०/209) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-3-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (अन्य रैंक) दक्षिण, मद्रास। |
| 12. | वाई० एन० चोपड़ा, (ओ०/272) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 30-4-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, उत्तरी कमान, जम्मू-छावनी। |
| 13. | आदि नाथ चटर्जी, (ओ०/277) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 28-2-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्ट्रीज), कलकत्ता। |
| 14. | बी० एम० गवाईकर, (ओ०/283) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-5-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, दक्षिणी कमान, पूना। |
| 15. | आर० एल० सिन्नारकर, (ओ०/320) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 31-5-1978 | रक्षा लेखा नियंत्रक, (अफसर), पूना। |

रक्षा लेखा महा नियंत्रक, निम्नलिखित लेखा अधिकारियों के निधन को खेद के साथ अधिसूचित करते हैं। उनको, उनके नाम के सामने लिखी तारीख से, विभाग की नफरी से निकाल दिया गया है।

| क्रम सं० | नाम रोस्टर संख्या सहित | ग्रेड | निधन होने की तारीख | विभाग की नफरी से निकाले गये | संगठन |
|---|---|---|---|---|---|
| | सर्व श्री | | | | |
| 1. | यू० एस० आनन्द, (पी०/294) | स्थायी लेखा अधिकारी | 20-2-1978 | 21-2-1978 (पूर्वाह्न) | रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्ट्रीज), कलकत्ता। |
| 2. | एस० के० राय चौधरी, (पी०/355) | स्थायी लेखा अधिकारी | 24-2-1978 | 25-2-1978 (पूर्वाह्न) | रक्षा लेखा नियंत्रक, (वायु सेना), देहरादून। |
| 3. | ए० सी० दत्ता (पी०/359) | स्थायी लेखा अधिकारी | 21-1-1978 | 22-1-1978 (पूर्वाह्न) | रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ। |
| 4. | जी० सी० अग्रवाल, (ओ०/67) | स्थानापन्न लेखा अधिकारी | 3-4-1978 | 4-4-1978 (पूर्वाह्न) | रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना। |
| 5. | एस० के० घोष, (पी०/192/1977) | स्थायी लेखा अधिकारी | 25-12-1977 | 26-12-1977 (पूर्वाह्न) | रक्षा लेखा नियंत्रक, (फैक्ट्रीज), कलकत्ता। |
| 6. | जी० एल० चोपड़ा, (पी०/645/1977) | स्थायी लेखा अधिकारी, | 21-10-1977 | 22-10-1977 (पूर्वाह्न) | रक्षा लेखा नियंत्रक, पश्चिमी कमान, मेरठ। |

3. श्री एच० एल० अरोड़ा, स्थायी लेखा अधिकारी (पी०/45) जो दिनांक 30-3-1978 (अपराह्न) को एफ० आर०—56(ट) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो गये, दिनांक 31 मार्च, 1978 से 26-9-1978 (अपराह्न) (दोनों दिनों सहित) तक 180 दिन की आवधिक छुट्टी मंजूर की गई है।

4. सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित किये जाने पर श्री एच० के० शर्मा, स्थानापन्न लेखा अधिकारी (ओ०/15) को दिनांक 6-2-1978 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त कर दिया गया और पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया।

आर० वेंकट रत्नम,
रक्षा लेखा उप महा नियंत्रक (कार्मिक)

---

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

बम्बई-20, दिनांक 27 जुलाई 1978

सं० ई० एस० टी० 1-2 (551)—वस्त्र आयुक्त कार्यालय बम्बई के सहायक निदेशक द्वितीय श्रेणी (पी और डी) श्री महिपत सखाराम के सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर 30 जून 1978 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

जो चं० हांसदाक,
उपनिदेशक

---

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन अनुभाग-8)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1978

सं० ए०-17011(120)/77-प्र०-6—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर श्री बालुसानी सुधीर को दिनांक 31-1-78 से आगामी आदेशों के जारी होने तक भारतीय निरीक्षण सेवा (ग्रुप ए) की धातुकर्म शाखा के ग्रेड-III में सहायक निदेशक निरीक्षण (धातु) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

श्री सुधीर ने दिनांक 31-1-78 के पूर्वाह्न से निरीक्षण निदेशक (धातु) बर्नपुर के अधीन उप निदेशक निरीक्षण (धातु), दुर्गापुर के कार्यालय में सहायक निदेशक निरीक्षण (धातु) का कार्यभार सम्भाल लिया।

(प्रशासन अनुभाग-1)

दिनांक 27 जुलाई 1978

सं० प्र०-1 /1(810)—राष्ट्रपति पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (ग्रेड-1) (भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप ए के ग्रेड-III) श्री पी० एन० सोनी को दिनांक 20 मई, 1978 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक इस महानिदेशालय, नई दिल्ली में तदर्थ आधार पर उपनिदेशक पूर्ति (भारतीय पूर्ति सेवा, ग्रुप ए के ग्रेड II) के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

सूर्य प्रकाश,
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान

---

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० ए०-19012 (89)/77-स्था०—राष्ट्रपति, श्री एस० सी० नेभानी, सहायक अनुसंधान अधिकारी (अयस्क प्रसाधन) को 11 जुलाई, 1978 के अपराह्न से स्थानापन्न रूप में भारतीय खान ब्यूरो में सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान की जाती है।

दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० ए०-19012 (102)/77-स्था०—राष्ट्रपति, श्री एस० एम० शेंडें, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (अयस्क प्रसाधन) को 15 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप में भारतीय खान ब्यूरो में सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्ति प्रदान की जाती है।

एस० बालगोपाल,
कार्यालय अध्यक्ष
भारतीय खान ब्यूरो

---

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

देहरादून, दिनांक 24 जलाई 1978

सं० सी०-5395/707—(1) इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या सी० 5837/707 दिनांक 5-7-1978 में अधिसूचित श्री एम० एम० जैन (क्रमांक 42) की पदोन्नति की तारीख को संशोधित किया जाता है। कृपया इसे 23 अप्रैल, 1978 (पूर्वाह्न) के बजाय 23 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) पढ़ें।

(2) निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रु० के वेतनमान में अधिकारी सर्वेक्षण (ग्रप 'बी') के पद पर तदर्थ आधार पर पूर्णतया अनन्तिम रूप से प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से स्थानापन्न रूप में नियुक्त किया जाता है :—

| क्रम सं० | नाम तथा पदनाम | यूनिट/कार्यालय | नियुक्ति की तारीख |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | श्री के० एन० मथप्रा, सर्वेक्षण सहायक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 36 पार्टी (स० प्र० सं०) हैदराबाद | 1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 2. | श्री प्रेम चन्द शर्मा, ड्राफ्टसमैन डिविजन 1, सलेक्शन ग्रेड | सं० 6 आ० का० (पूर्वोत्तर सर्किल) देहरादून | 28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 3. | श्री के० अनंथनारायण, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 16 पार्टी (स० प्र० सं०) हैदराबाद | 1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 4. | श्री जे० के० देब, ड्राफ्टसमैन डिविजन 1, सलेक्शन ग्रेड | सं० 6 आ० का० (पूर्वोत्तर सर्किल) देहरादून | 28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 5. | श्री के० एन० जी० के० पिल्ले, सर्वेक्षक सलेक्शन ग्रेड | सं० 16 पार्टी (प्रा० मा० उ०) हैदराबाद | 1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 6. | श्री एम० के० चेंगप्पा, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 47 पार्टी (स० प्र० सं०) हैदराबाद | 23 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 7. | श्री एस० एस० प्रधान, सर्वेक्षक सलेक्शन ग्रेड | सं० 12 पार्टी (पूर्वोत्तर सर्किल) शिलांग | 30 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 8. | श्री वी० एस० राजपूत, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 22 (फोटो) पार्टी (पूर्वोत्तर सर्किल) देहरादून | 10 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 9. | श्री के० के० शर्मा, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 22 (फोटो) पार्टी (पूर्वोत्तर सर्किल) देहरादून | 19 मई, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 10. | श्री के० एम० हूडा, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 22 (फोटो) पार्टी (पूर्वोत्तर सर्किल) देहरादून | 28 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 11. | श्री आर० एल० गंगवाल, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 81 पार्टी (पूर्वोत्तर सर्किल) शिलांग | 3 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 12. | श्री मलूक सिंह, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 9 पार्टी (पूर्वोत्तर सर्किल) शिलांग | 30 मार्च, 1978 (पूर्वान ) |
| 13. | श्री टी० एन० शर्मा, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 47 पार्टी (स० प्र० सं०) हैदराबाद | 1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 14. | श्री पी० जी० पी० पणिक्कर सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 53 पार्टी (प्रा० मा० उ०) हैदराबाद | 1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 15. | श्री एल० एस० शर्मा, सर्वेक्षक सलेक्शन ग्रेड | सं० 80 (फोटो) पार्टी (पूर्वोत्तर सर्किल) शिलांग | 30 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 16. | श्री एन० एम० पटेल सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 36 पार्टी (स० प्र० सं०) हैदराबाद | 1 मार्च 1978 (पूर्वाह्न) |
| 17 | श्री एस० के० डी० चौधरी, सर्वेक्षण, सहायक सलेक्शन ग्रेड | सं० 29 पार्टी (पूर्वोत्तर सर्किल) शिलांग | 25 फरवरी, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 18. | श्री जगदीश कुमार, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 59 पार्टी (द० म० स०) हैदराबाद | 20 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 19. | श्री ए० जी० जोशी, सर्वेक्षक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 50 पार्टी (प्रा० मा० उ०) हैदराबाद | 1 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 20. | श्री टी० आर० कोठियाल, सर्वेक्षण सहायक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 6 आ० का० (पूर्वोत्तर सर्किल) देरादून | 30 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 21. | श्री जी० एम० राय, सर्वेक्षण सहायक, सलेक्शन ग्रेड | सं० 80 (फोटो) पार्टी (पूर्वोत्तर सर्किल) शिलांग | 3 मार्च, 1978 (पूर्वाह्न) |
| 22 | श्री बी० के० माहनी, सर्वेक्षण, सलेक्शन ग्रेड | सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद | 15 मई, 1978 (पूर्वाह्न) |

के० एल० खोसला
मेजर-जनरल
भारत के महासर्वेक्षक
(नियुक्ति प्राधिकारी)

---

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० 4 (28)/75-एस०-1—भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन हो जाने पर, श्री के० राममूर्ति, स्थानापन्न कार्यक्रम निष्पादक, विदेश प्रसारण सेवा प्रभाग, आकाशवाणी, नई दिल्ली ने दिनांक 11-7-78 (अपराह्न) से कार्यभार छोड़ दिया है और यह माना जाएगा कि इसी तारीख से इन्होंने आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक के पद से इस्तीफा दे दिया है ।

ए० के० बोस,
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

---

सिविल निर्माण स्कंध

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 जून 1978

सं० ए०-35018/2/78-सी० डब्ल्यू०-I—महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली, श्री एस० रामचन्द्रन, कनिष्ठ इंजीनियर (विद्युत) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को, सिविल निर्माण स्कंध, आकाशवाणी, बम्बई में, सहायक इंजीनियर (विद्युत) के पद पर रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में, दिनांक 26 अप्रैल, 1978 पूर्वाह्न से, प्रतिनियुक्ति पर, प्रथमतः एक वर्ष के लिए, नियुक्त करते हैं ।

2. श्री रामचन्द्रन का वेतन और भत्ते वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० 10/24/ई०III/60, दिनांक 4 मई, 1961, यथा संशोधित, नियमों के अनुसार विनियमित होंगे ।

दिनांक 19 जून 1978

सं० ए०-35017/1/75-सी० डब्ल्यू०- —महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली, श्री सी० एन० भगत, मुख्य प्रारूपकार, थल सेना मुख्यालय, नई दिल्ली को, सिविल निर्माण स्कंध, आकाशवाणी, नई दिल्ली में, सहायक वास्तुविद के पद पर, रु० 650-30-740-35-810- द० रो०-880-40-1000-द० रो० 40-1200 के वेतनमान में, दिनांक 9 जून, 1978 पूर्वाह्न से, प्रतिनियुक्ति पर, प्रथमतः एक वर्ष के लिए, नियुक्त करते हैं ।

2. श्री भगत का वेतन और भत्ते वित्त मंत्रालय के का० ज्ञा० सं० 10/24/ई० III/60 दिनांक 4 मई, 1961, यथा संशोधित, नियमों के अनुसार विनियमित होंगे ।

बचन सिंह,
अपर मुख्य इंजीनियर (सिविल)
के इंजीनियरी अधिकारी
कृते महानिदेशक

---

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 1978

सं० ए०-12026/7/77 (एन० टी० आई०) प्रशासन-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री पी० पलानी स्वामी को 11 जुलाई, 1978 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान, बंगलौर में कनिष्ठ जीवाणु विज्ञानी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

सं० ए० -12026/15/77-प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री विवेक चन्द्र शर्मा को 22 जून, 1978 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में हिन्दी अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

सं० ए०-12026/15/77/प्रशासन-I—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री डी० कृष्ण पणिकर को 11 जुलाई, 1978 पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बम्बई में हिन्दी अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

शामलाल कुठियाला,
उप निदेशक प्रशासन (सं० व प०)

भारतीय डाक-तार विभाग

कार्यालय, महाप्रबन्धक, मद्रास टेलीफोन

मद्रास–600001, दिनांक 26 जुलाई, 1978

सं० ए० एस०टी०/ए०ओ०-5/VIII—महाप्रबन्धक, मद्रास टेलीफोन जिला, निम्नलिखित कनिष्ठ लेखा अधिकारियों को उनके नाम के आगे उल्लिखित अवधि के लिए, स्थानीय प्रबन्धक के रूप में, लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

| क्र० सं० | नाम | तारीख से | तक |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री एस० आर० दोरैस्वामी | 13-12-77 (अपराह्न) | 30-3-78 (पूर्वाह्न) |
| 2. | श्री आर० सीतारामन | 2-5-78 (अपराह्न) | 1-7-78 (अपराह्न) |

सं० ए०एस०टी०/ए०ई०-5/IV—निम्नलिखित कनिष्ठ इंजीनियर, जो स्थानीय प्रबन्ध के रूप में मद्रास टेलीफोन जिले में, स्थानापन्न सहायक इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे, अपने नाम के आगे उल्लिखित तारीख से अपने पूर्व पद पर परावर्तित किये जाते है ।

| क्र० सं० | नाम | पूर्व पद पर परावर्तन की तारीख |
|---|---|---|
| 1. | श्री के० जी० सुन्दरेसन | 1-2-78 अपराह्न |
| 2. | श्री आर० संपत | 20-2-78 अपराह्न |
| 3. | श्री बी० एस० रामस्वामी | 10-3-78 अपराह्न |
| 4. | श्री बी० एस० नागराजन | 21-1-78 अपराह्न |

सं० ए० एस० टी०/डी० ई०-5—महाप्रबन्धक, मद्रास टेलीफोनस जिला, निम्नलिखित सहायक इंजीनियरों को उनके नाम के आगे उल्लिखित अवधि के लिए, स्थानीय प्रबन्ध के रूप में, स्थानापन्न मंडल इंजीनियर नियुक्त करते हैं ।

| क्र० सं० | नाम | पदोन्नति की तारीख |
|---|---|---|
| | सर्व श्री | |
| 1. | आर० वैद्यनादन | 8-2-78 अ० |
| 2. | पी० आर्तर जेसुदास | 1-5-78 अ० |
| 3. | टी० एन० जनार्दनन | 20-5-78 अ० |
| 4. | एस० सुन्दरम | 23-5-78 अ० |
| 5. | के० श्रीनिवासन | 5-6-78 अ० |

ह० अपठनीय

सहायक महाप्रबन्धक (प्रशासन)

कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय

फरीदाबाद, दिनांक 29 जुलाई 1978

सं०ए०-19025/96/78प्र-तृ०—संघ लोक सेवा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर श्री एम० वी० एस० नारायना मूर्ती को इस निदेशालय में गन्टूर में दिनांक 12 जुलाई, 1978 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी (वर्ग-I) नियुक्त किया गया है ।

बी० एल० मनीहार,

प्रशासन निदेशक

कृते कृषि विपणन सलाहकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

क्रय और भण्डार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० क्र० भ० नि०/ 2/1 (1)/77/प्रशासन/19861—इस निदेशालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनाक 10 मई, 1978 के तारतम्य में, निदेशक क्रय और भंडार, परमाणु ऊर्जा विभाग, इस निदेशालय के मुख्य भंडारी श्री वजीर चन्द को स्थानापन्न सहायक भंडार अधिकारी के पद पर, इसी निदेशालय में अग्रिम समय 30 सितम्बर, 1978 अथवा अग्रिम आदेश जो भी पहले हो तक, तदर्थ रूप से नियुक्त करते हैं ।

बी० जी० कुलकर्णी,

सहायक कार्मिक अधिकारी

बम्बई-400001, दिनांक 29 जुलाई, 1978

सं० क्र० भ० नि०/40/1/77-प्रशासन/ —निदेशक, क्रय और भंडार परमाणु ऊर्जा विभाग, निम्नलिखित अस्थाई सहायक लेखाकारों को स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी पद पर रु० 650-30-740-35-880 द० रो०-40-960 के वेतन क्रम में, इसी निदेशालय में 15 जुलाई, 1978 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियुक्त करते है ।

1. श्री ए० मैस्करैन्स
2. श्री पी० बी० मौहम्मद

के० पी० जोसफ,

प्रशासन अधिकारी

(परमाणु खनिज प्रभाग)

हैदराबाद-500 016, दिनांक 27 जुलाई 1978

सं० प० ख० प्र०-1/8/78-प्रशासन—परमाणु, ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा डा० पी० नरसिम्हा मूर्ती को उसी प्रभाग में 17 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से लेकर आगामी आदेश होने तक स्थानापन्न रूप से सहायक सर्जन नियुक्त करते है ।

एस० रगंनाथन,

वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

आन्तरिक्ष विभाग

सिविल इंजीनियरी प्रभाग

बंगलौर-560025, दिनांक 1978

सं० 10/3/(39)/78-सि० इं० प्र० (एच०)—अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग के मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण

विभाग, तमिलनाडु के सहायक इंजीनियर श्री के० षडमुगम को अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग मे प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न रूप में इंजीनियर एस०बी० के पद पर दिनांक 7 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 20 जुलाई, 1978

सं० 10/5/ (33)/77-सि० इं० प्र० (एच०)—अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग के मुख्य अभियन्ता श्री एम० एल० पी० थ्यागाराजन, पर्यवेक्षक को इसी प्रभाग में इंजीनियर एस० बी० के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1 जुलाई, 1976 से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 27 जुलाई 1978

सं० 10/2 (8)/78-सि० इं० प्र० (एच०)—अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग के मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, तमिलनाडु के सहायक इंजीनियर श्री पी० एस० सुन्दर राज को अन्तरिक्ष विभाग के सिविल इंजीनियरी प्रभाग, श्रीहरिकोटा को प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न रूप में इंजीनियर एस० बी० के पद पर दिनांक 7 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

पी० आई० यू० नम्बियार,
प्रशासन अधिकारी-II
कृते मुख्य अभियन्ता

---

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन

अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र

अहमदाबाद-380053, दिनांक 21 जुलाई 1978

स० अं० उ० के०/स्था०/टेस्क/42/78—अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के निदेशक ने श्री अशोक अपसिंगीकर को इंजीनियर एस० बी० के पद पर अस्थायी रूप मे अन्तरिक्ष विभाग, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में 13 फरवरी, 1978 पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त किया है ।

दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० अं० उ० के० /स्था०/टेस्क/46—अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के निदेशक ने श्री निकेतनकुमार विनोदचन्द्र शाह को इंजीनियर एस० बी० के पद पर अस्थायी रूप मे अन्तरिक्ष विभाग, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र में 10 अप्रैल, 1978 पूर्वाह्न से 31 अगस्त, 1979 तक की अवधि के लिए नियुक्त किया है ।

एस० जी० नायर,
प्रधान, कार्मिक और सामान्य प्रशासन

---

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय

भारत मौसम विज्ञान विभाग

नई दिल्ली-3, दिनांक 26 जुलाई 1978

स० ए०-32014/3/78-ई०-I—वेधशालाओं के महानिदेशक नीचे-लिखे व्यावसायिक सहायकों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से आगामी आदेश तक सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते है :—

| क्र० सं० | नाम | तारीख जिससे सहायक मौसम वैज्ञानी के पद पर नियुक्ति हुई | कार्यालय जिस में तैनात किए गए |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | श्री बी० सी० सेन | 5-6-78 | निदेशक, प्रादेशिक केन्द्र, कलकत्ता के अन्तर्गत मौसम केन्द्र, गोहाटी, |
| 2. | श्री ए० के० हंसधा | 31-5-78 | निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, कलकत्ता के अन्तर्गत मौसम कार्यालय, मोहनबाड़ी |

दिनांक 27 जुलाई, 1978.

सं० ई० (1) 04214—निदेशक प्रादेशिक मौसम केन्द्र, मद्रास भारत मौसम विज्ञान विभाग, के अन्तर्गत मौसम केन्द्र, त्रिवेन्द्रम में स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी, श्री एम० सी० चाको, निवर्तन) की आयु पर पहुंचने पर 30 जून, 1978 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए ।

सं० ई० (1) 04262—निदेशक, प्रादेशिक मौसम केन्द्र, कलकत्ता, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अन्तर्गत मौसम केन्द्र, गोहाटी मे स्थानापन्न सहायक मौसम विज्ञानी श्री बी० बी० राय 31 मई, 1978 के अपराह्न में सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए ।

सं० ए०-33014/2/78-ई० 1—दिनांक 3 जून, 1978 की समसंख्यक अधिसूचना में क्रम सख्या 3 के सामने कालम 3 में लिखी तारीख 18-4-1978 को 19-4-1978 समझा जाए ।

दिनांक 1 अगस्त, 1978

सं० ई० (1) 06413—वेधशालाओं के महानिदेशक, वेधशालाओं के उप-महानिदेशक (जलवायु विज्ञान), पुणे के कार्यालय में व्यावसायिक सहायक श्री ए० के० सेन को भारत मौसम सेवा, ग्रुप-बी० (केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप-बी०) में सहायक मौसम विज्ञानी के पद पर स्थानापन्न रूप में 3 जुलाई, 1978 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

श्री सेन को वेधशालाओं के उपमहानिदेशक (पूर्वानुमान) पुणे के कार्यालय में तैनात किया जाता है ।

गुरुमुखराम गुप्ता,
मौसम विज्ञानी
कृते वेधशालाओं के महानिदेशक

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1978

सं० ए-31016/2/78-ई० एस०—महानिदेशक नागर विमानन ने श्री के० पी० चक्रवर्ती को दिनांक 20-7-78 से नागर विमानन विभाग में प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेड में स्थायी रूप से नियुक्त किया है ।

सुरजीतलाल खंडपुर,
सहायक निदेशक प्रशासन

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

सं० 4/78—केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के निम्नलिखित निरीक्षकों को अगले आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप से अधीक्षक (ग्रुप बी) के पद पर रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में नियुक्त किया गया है । उनके कार्य ग्रहण के स्थान और कार्यभार संभालने की तारीख निम्न प्रकार है ।

| अधिकारी का नाम | नियुक्त स्थान | कार्यभार ग्रहण करने की तारीख |
|---|---|---|
| श्री | | |
| (1) वी० पी० नमचिवायम | मदुरै मुख्यालय | 12-5-78 |
| (2) एम० एन० श्रीनिवासन | सीमा शुल्क डिविजन मदुरै | 12-5-78 |
| (3) के० गोपाल कृष्णन | मदुरै मुख्यालय | 16-6-78 |
| (4) एस० मोहमद निजार | तिरुच्चिरापल्लि हवाई अड्डा | 16-5-78 |
| (5) सैयद यूसुफ हुसैन | डालमीयापुरम एम० ओ० आर० तिरुच्चिरापल्लि | 10-7-78 |
| (6) एम० आर० अलगिरि-स्वामी | शिवकाशी एम० ओ० आर०-I | 5-6-78 |
| (7) एस० विन्शन्ट | सीमा शुल्क प्री-वेण्टिव ग्रुप तूत्तुकुडी | 17-6-78 |
| (8) पी० ए० मोणि | तिरुत्तुरै पूण्डी (शि० पी०) नार्गे० डिन० | 10-7-78 |
| (9) ए० जी० जोसप | शिवकाशी एम० ओ० आर०-II | 10-7-78 |

सं० 5/78—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समाहर्तालय, मद्रास के कार्यालय अधीक्षक श्री बी० नटराजन को अगले आदेश होने तक स्थानापन्न रूप से प्रशासनिक अधिकारी (ग्रुप बी) के पद पर रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतन मान पर नागपटनम सीमा शुल्क डिविजन में तारीख 27-4-78 से नियुक्त किया गया है ।

एम० एस० सुब्रमण्यम,
समाहर्ता

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 1978

सं० ए-19012/268/76-प्रशा० पांच—अधिसूचना सं० ए-19012/629/76-प्रशा० पांच, दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 के अनुक्रम में अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग श्री एस०आर०शर्मा की केन्द्रीय जल आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक (प्रकाशन) के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति को रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतनमान में पूर्णतया अस्थायी आधार पर दिनांक 11-6-1978 से 20-8-1978 तक की अगली अवधि के लिए अथवा सहायक निदेशक (प्रकाशन) के पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं ।

जे० के० साहा,
अवर सचिव
केन्द्रीय जल आयोग

निर्माण महानिदेशालय
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

सं० 33/1/77-ई सी-9 (भाग-4)—निर्माण महानिदेशक, के० लो० नि० वि० संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कुमारी बी० डी० चौधरी की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 रुपये (तथा सामान्य भत्ते) के वेतनमान में 650/- रुपये प्रतिमास वेतन पर सामान्य शर्तों पर 29-4-1978 (पूर्वाह्न) से सहायक वास्तुक के अस्थायी पद पर (केन्द्रीय सिविल सेवा ग्रुप बी) नियुक्त करते हैं ।

(2) कुमारी चौधरी 29-4-78 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाते हैं ।

कृष्ण कान्त,
प्रशासन उपनिदेशक

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जुलाई 1978

सं० 78/आर० ई०/161/1—रेलवे लाइनों और परिसरों का उपयोग करने वाले सभी व्यक्तियों के सामान्य सूचनार्थ एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित खंडों में जिन चरणों पर निर्माण कार्य हो रहा है, 15-6-1978 को या उसके बाद से शिरोपरि कर्षण तारों में 2.2 के वी ए सी बिजली प्रवाहित कर दी जायेगी :—

चिराला से विजयवाडा :—

संरचना सं० कि० मी० 341/31/32 से 429/37-38 तक

और

विजयवाडा यार्ड के कि० मी० 583/23-24 से 581/1 तक

उक्त तारीख को और उसके बाद शिरोपरि कर्षण तारों को हर समय बिजली युक्त समझा जाना चाहिए और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को उनके निकट नहीं आना चाहिए और न ही उनके निकट कोई कार्य करना चाहिए ।

पी० एन० मोहिले,
सचिव, रेलवे बोर्ड

---

चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना

चितरंजन, दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० जी० एम० ए०/जी० एस०/8(एकाउन्ट्स)—श्री बी० एम० दास, स्थानापन्न प्रवर लेखा अधिकारी (वित्त-व्यय), चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना को इस प्रशासन के लेखा विभाग के संवर्ग में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर द्वितीय श्रेणी की सेवा में तारीख 26-4-78(पूर्वाह्न) से स्थायी किया जाता है ।

के० रमन,
महाप्रबन्धक

---

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी लॉ बोर्ड

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और सुप्रीम चिट फंड एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड (समापन में) के विषय में

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1978

सं० लिक्व०/3378/13412—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सुप्रीम चिट फंड एण्ड ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड (समापन में) का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

पी० एस० माथुर,
सहायक रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और राजा एण्ड एबेनेजर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

मद्रास, दिनांक 25 जुलाई 1978

सं० 5761/560(3)/78—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर राजा एण्ड एबेनेजर प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

के० पञ्चापकेशन,
कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार
मद्रास

---

कम्पनी अधिनियम, 1956 और इण्डियन कोमर्स एंड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० 8814/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि इण्डियन कोमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

---

कम्पनी अधिनियम, 1956 और चटर्जी एण्ड चक्रबर्ती पेपर लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० 9588/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि चटर्जी एण्ड चक्रबर्ती पेपर लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

---

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पी० एन० एम० कनस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

कलकत्ता, दिनांक 29 जुलाई 1978

सं० 22022/560(5)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि पी० एन० एम० कनस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है ।

एस० सी० नाथ,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

रूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I

शिलांग,दिनांक 17 जून, 78

निर्देश सं० ए० 187/ शि०/78-79/ 2006-08 :—अतः मुझे एगबर्ट सिंग आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० पता सं० 129 होलडिंग सं० 88 है तथा जो कुईन्टोन रोड शिलांग में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शिलांग में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18/11/77

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती वन्दना राय चौधुरी स्वारगिए रनधिर राय चौधुरी, का पत्नी, कुईन्टोन रोड, शिलांग।
फिलहाल का पता
केरआफ शिभेन्दु भत्ताचारजी नई कालोनी, हाई स्कूल का उल्टा, शिलोंग।
(अन्तरक)

(2) श्री मदन गोपाल पोद्दार, स्वारगिए एन० सी० पोद्दार का पुत्र, पोलिस बजार शिलोंग।
(अन्तरिती)

(3) श्री प्रफुल्ला पुरकचास्थ, कुईन्टान रोड शिलांग,
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित म किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन के परिमाप 2795 वर्गफुट 4 मकान सहित जो कुईन्टोन रोज शिलांग में धालया में स्थित है।

एगबर्ट सिंग
सक्षम प्राधकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज शिलोंग

तारीख : 17-6-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज धारवाड़ का कार्यालय

धारवाड़, दिनांक 16 जून, 1978

निर्देश सं० 216/78-79/ए० सी० क्यू० :—यतः, मुझे डि० सी० राजगोपालन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 173/6, 173/10 और 174/1 है, जो गुरीम बाडो, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सालिसिट अंडर डाकुमेंट नं० 1508/77-78 तारीख 29-11-1977 में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) है के अधीन

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) डा० लूइस देस संतोस अलवरिस और औरत मेरिया अम्माकल्रा सियामिलिया करोलिना डि० सनताना गोडिनै अलवरेस, निवासी मरगेवा ।

(अन्तरक)

(2) 1. श्री जगन्नात वत्ताराम नखेनखर
2 श्री पेडरो परान्सीसको नरोन्हा
3. श्री गुरदास दरमा बोरकर निवासी मरगंवा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्थावर सम्पत्ति है, जो गुरीम वाडो / 8 मकान और एक चरच और नारियल का खेत। माप का भाग 19,500 सं० मी० सखे नं० 173/6, 173/10 और 174/1 ।

डी० सी० राजगोपालन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण).
अर्जन रेंज धारवाड़

तारीख : 16-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज

अमृतसर, दिनांक 30 मई, 1978

निदेश नं० जीएसपी/16/78-79 :—यतः, मुझे एस० के० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो जी० टी० रोड एवं. तारागढ़ रोड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुरदासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री वेद व्यास एवं लालचन्द पुत्र श्री हेमराज निवासी दीनानगर

(अन्तरक)

(2) श्री देवराज पुत्र श्री युधिष्टर एवं श्रीमती कान्ता कुमारी पत्नी श्री राज कुमार, जालन्धर

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर क्रमांक 2 पर अंकित है और यदि कोई किरायेदार हो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति हो)।

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि माप 2 के० 10 एम० जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख संख्या 4629 नवम्बर, 1977 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, गुरदासपुर में लिखा है।

एस० के० गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 30-5-1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज

अमृतसर, दिनांक 29 जून, 1978

निदेश नं॰ बी॰टी॰एल/24/78-79 :—यतः, मुझे एस॰ के॰ गोयल, आई॰ आर॰ एस॰ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है,

और जिसकी सं॰ नं॰ म॰बी॰ XXI-149 है, तथा जो मोहल्ला सेखरियान बटाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कमला रानी, विधवा डाक्टर गुज्जरमल सेखरी, मोहल्ला, सेखरियान, बटाला

(अन्तरक)

(2) श्री बल्देव कृष्ण ओम प्रकाश, एवं लक्ष्मी नारायण पुत्रगण श्री सीरी कृष्ण, निवासी बटाला

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर क्रमांक 2 पर अंकित है और यदि कोई किरायेदार हो। (वह व्यक्ति जिसके, अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

म॰ नं॰ बी॰ -21-149, मोहल्ला सेखरियान, बटाला, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख संख्या 4298 नवम्बर, 1977 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बटाला में लिखा है।

एस॰ के॰ गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 29-6-1978
मोहर :

**प्रारूप आई० टी० एन० एस०—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज,

अमृतसर, दिनांक 11 जुलाई, 1978

निदेश सं०ए०एस०आर/25/78-79 :—यतः, मुझे एस० के० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 30 है, तथा जो मजीठा रोड, गोपालनगर, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय शहर अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, नवम्बर, 1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती दुर्गा देवी विधवा सुलक्खन सिंह अमृतसर 76-सी०, लोरंस रोड

(अन्तरक)

(2) सर्वश्री गुलसन कुमार, परदीप मारक, इन्दरजीत पुत्रगण श्री प्यारा लाल, निवासी बाजार गोरी गंज अमृतसर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर क्रमांक 2 पर अंकित है और यदि कोई किरायेदार हो ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

38 मजीठा रोड, गोपालनगर अमृतसर जैसा कि कि रजिस्ट्रीकृत विलेख संख्या 2501 नवम्बर, 1977 में रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी, शहर अमृतसर में लिखा है ।

एस० के० गोयल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 11-7-1978

मोहर :

**प्ररूप आई०टी०एन०एस०——**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 11 जुलाई 1978

निदेश नं० ए० एस० आर/26/78-79 :—यतः मुझे, ए० के० गोयल,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है**

और जिसकी सं० मकान नं० 2414, 2424/12 34/511-1 कालीपड़पर नं० 36/511 है, तथा जो कल्याण सिंह मार्ग अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, शहर अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1978

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—**

(1) श्री पालाराम पुत्र श्री रामभज, अमृतसर, अन्दर हाकी गेट। (अन्तरक)

(2) सर्वश्री दलजीत सिंह, हरजीत सिंह, गुरजीत सिंह, पुत्रगण श्री प्रीतम सिंह, निवासी 154 कटरा मोतीराम, अमृतसर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर क्रमांक 2 पर अंकित है और यदि कोई किरायेदार हो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख संख्या 2557 नवम्बर, 1977 में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी शहर अमृतसर में लिखा है।

एस० के० गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 11-7-1978
मोहर :

**प्ररूप आई० टी० एन० एस०———**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज

आयकर भवन, प्लाट नं० 31 शिवाजी नगर पूना-5

पूना-5, दिनांक 19 जून, 1978

निदेश सं० सी ए 5 /वाई/ फेब्रु० 78/360 —यतः, मुझे, श्रीमती पी० ललवानी,

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है**

और जिसकी सं० फायनल प्लाट नं० 470, पांचगणी ता० वाई है, तथा जो पांचगणी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वाई में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-2-78 को

**पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

(1) श्री वारा रशीद खंबाटा, 4, बंड गार्डन रोड, पूना-1।
(अन्तरक)

(2) 1. श्री मेहेरजाद के० अख्त्यार खावरी
2. श्रीमती ताराबाई गंगाराम कांबले
3. श्री सतीश नानालाल धारिया
4. श्री अब्दुल्ला आब्बासशाई ऊनीवाला पांचगणी, ता० वाई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

खुली जगह और उसके ऊपर की इमारत, फायनल प्लाट नं० क्र० 470, टी० पी० स्कीम नं० III जो पांचगणी ता० वाई में स्थित है)।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 360 दिनांक 10-2-78 को सब रजिस्ट्रार वाई के दफ्तर में लिखा है।)

श्रीमती पी० ललवानी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 19-6-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भावकर भवन,

प्लाट नं० 31, शिवाजी नगर पूना-5

पूना-5, दिनांक 19 जून 1978

निदेश सं० सीए-5/वाई०/फेबु० 78/361—यतः मुझे, श्रीमती पी० ललवानी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या फायनल प्लाट क्र० 473, पांचगणी, ता० वाई है तथा जो पांचगणी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वाई में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 10-2-78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल

का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री दारा रशीद खंबाटा, 4, बंड गार्डन, पूना-1। (अन्तरक)

(2) 1. श्री अमीन आर० मेहेरणाही
2. श्री गंगाराम पांडुरंग कांबले
3. श्रीमती आशालता नानालाल धारिया
4. श्री अमीन अब्दुल्ला ऊनीवाला, पांचगणी, ता० वाई। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जगह और उसके ऊपर की इमारत फायनल प्लाट नं० 473, टी० पी० स्कीम नं०-III, पांचगणी, ता० वाई।

(जैसे कि रजिस्ट्रीकृत विलेख क्र० 361 दिनांक 10-2-78 को सब रजिस्ट्रार वाई के दफ्तरमें लिखा है।)

श्रीमती पी० ललवाणी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, पूना

तारीख : 19-6-78
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 22-6-78

निदेश सं० एल० सी० 193/78-79—यतः मुझे, पी० ओ० जोर्ज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो एरणाकुलम विलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एरणाकुलम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 21-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, 'उक्त अधिनियम' की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) आर० नारायण अय्यर (अन्तरक)

(2) चेल्लम्माल

2. (1) मात्यु एन० तोमस (2) तोमस जोन (3) तोमस जार्ज (4) तोमस मुलू (5) जार्ज अलकजेंडर (अन्तरिती)

3. एसोसिएटिड एनपिनीयरिंग कोरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

4. कोच्चिन कार्पोरेशन (वह व्यक्ति जिसके बारे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

Land and buildings CC. Nos. XXXVIII/971, 972 and 1003 of Ernakulam village vide Schedule to document No. 2991/1977.

पी० ओ० जोर्ज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण,
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 22-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 22 जून 1978

निदेश सं० एल० सी०-200/78-79—यतः मुझे, पी० ओ० जोर्ज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो पन्नियनकरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, चालपुरम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-11-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. पक्कर कोमा (2) ए० एन० अहम्मद कोमा (3) (ए० एन० मम्मू कोमा (4) ए० एन० मोमिदीन कोमा (अन्तरक)

2. श्री वी० परी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

4.59 acres of coconut garden in sy. Nos. 65/3, 62/1, 60/4, 56/1A, 2 in Panniankara Omsom desom in Calicut.

पी० ओ० जोर्ज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 22-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 11 जुलाई 1978

निदेश सं० एल० सी० 209/78-79—यतः मुझे, पी० ओ० जोर्ज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो कसबा विलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोषिकोड में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 14-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती कुन्जुलक्ष्मी अम्मा (अन्तरक)

2. श्रीमती पूवत इब्राई, वी० कुन्जाबदुल्ला कुडिपुराता कन्डी अबदुरहिमान, के० के० कादर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

3/4th right over 12 cents of land and 2 bldgs. in R. Sy. No. 19.3.64/1 as per schedule to Document No. 613/77 of SRO Koshikod.

पी० ओ० जोर्ज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 11-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एरणाकुलम

कोचीन-16, दिनांक 12 जुलाई 1978

निदेश सं० एल० सी० 205/78-79—यतः मुझे, पी० ओ० जोर्ज

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है, जो तलमुन्टा विलेज में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय डपाल में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 15-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कृष्णन नेमपूतिरी

(अन्तरक)

2. अब्दुलकादर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2.24 acres of land with buildings in Sy. No. 265/4 in Thalamunda Amsom vide document No. 2938/77 dated 15-11-1977.

पी० ओ० जोर्ज
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, एरणाकुलम

तारीख : 12-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 1978

निदेश सं० 40-वी०/अर्जन—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० प्लाट न० 3 है तथा जो नवल किशोर रोड, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-11-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री आजाद अहमद खां

(अन्तरक)

2. (1) श्री राज बहादुर मेहता (2) विजयकृष्ण मेहता (3) अशोक मेहता (4) श्रीमती चित्रा मेहता (5) श्रीमती राधा मेहता (6) श्रीमती नीरा मेहता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किला प्लाट नं० 3 जिसका क्षेत्रफल 8715 वर्ग-फीट है। जो कि नवल किशोर रोड, लखनऊ में स्थित है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 13-7-78
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 13 जून 1978

निदेश सं० 111-270/अर्जन/78-79/234—अतः, मुझे, मुरारी नन्द तीवारी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० टाउन प्लान-प्लाट सं० 1244 एवं 1231 मु० वार्ड नं० VIII है, तथा जो देवघर, जिला संथाल प्रगना (बिहार) में स्थित है (और इस उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रजिस्ट्रार आफ ऐसोरेन्स, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 17-11-1977 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती कीसनी देवी सुरेका, जे० 172, एन० मुखर्जी रोड़, सालकीयां, हावड़ा।

(अन्तरक)

2. ठाकुर दास सुरेका चैरेटी ट्रस्ट फण्ड, 172, जे० एन० मुखर्जी रोड़, सालकीयां, हावड़ा,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

जमीन का रकबा—(1) 17 कटठा 4 धुर जमीन में दो पक्का मकान एवं कुछ और ढांचा बना हुआ जो शहरी प्लान प्लोट सं० 1244, हो० न० 148 एवं (2) 1 विघा 1 कट्ठा 14 धुर जमीन में इटका कच्चा ढांचा तैयार जो सहरी प्लान सं० 1231, जो उपरोक्त दोनों जायदाद वार्ड नं० VIII देवघर नगर निगम में स्थित है। जिसका पूर्ण विवरण दस्तावेज सं० I-5211 में पूर्ण वर्णित है।

मुरारी नन्द तीवारी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

दिनांक : 13 जून 1978

मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 20 अप्रैल 1978

निर्देश सं० आय० ए० सी०/अर्जन/66/78-79—यतः, मुझे, ह० च० श्रीवास्तव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 62, वार्ड नं० 65, स० नं० 23 है तथा जो कामठी रोड़, नागपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरिती) (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एल० सी० डी० आर० एनाईल जोशी, 247, सेंट अन्टानी रोड़, चेंबूर, बाम्बे-71 ।

(अन्तरक)

2. फॉदर असंको डीसोजा, चेयरमैन पीलॉर निकेतन सोसायटी, भारत टाकीज के पास, कामठी रोड़, नागपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान नं० 62, वार्ड नं० 65, सर्कल नं० 23, पूरा एरिया 1203 स्केअर मीटर, कामठी रोड़, नागपुर ।

ह० च० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नागपुर

दिनांक : 20 अप्रैल, 1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 22 अप्रैल 1978

निर्देश सं० आय० ए० सी०/अर्जन/67/78-79—यतः मुझे ह० च० श्रीवास्तव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 14, वार्ड नं० 13, म्यु० प्लाट नं० 643-ए/232 है तथा जो धरमपेठ ले-आउट, नागपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम' या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) पी० आर० विजयालक्ष्मी, 14, उत्तर अम्बाझरी मार्ग, नागपुर

(अन्तरक)

(2) श्री पी० व्ही० स्वामीनाथन, विजय निवास, रामदासपेठ, नागपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इस प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 14, वार्ड नं० 13, म्युनिसिपल प्लाट नं० 643-ए/232 धरमपेठ ले-आउट, उत्तर अम्बाझरी मार्ग, नागपुर ।

ह० च० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नागपुर

दिनांक : 22 अप्रैल, 1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 19 जून 1978

निर्देश सं० आय० ए० सी०/अर्जन/71/78-79—यतः मुझे, ह० च० श्रीवास्तव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट न० 285 का आधा भाग, वार्ड नं० 23 तथा जो सतनामी नगर, नागपुर में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 16) के अधीन दिनांक 17-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) सौ० शकुन्तला रानी ओमप्रकाश गुप्ता
वार्ड नं० 23, नागपुर

(अन्तरक)

(2) श्री खुशालचन्द मगलचंद रांका,
श्री प्रकाशचन्द मगलचंद रांका,
गांधीबाग, नागपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्लाट नं० 285 का आधा भाग दो मंजली मकान, वार्ड नं० 23, सतनामी नगर, नागपुर।

ह० च० श्रीवास्तव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नागपुर

दिनांक : 19 जून, 1978

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 19 जून 1978

निर्देश सं॰ आय॰ ए॰ सी॰/अर्जन/72/78-79—यतः मुझे, ह॰ च॰ श्रीवास्तव
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है
और जिसकी सं॰ प्लाट नं॰ 285 का आधा भाग, वार्ड नं॰ 23 है तथा जो सतनामी नगर, नागपुर में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक नवम्बर, 1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) सौ॰ शकुन्तला रानी ओमप्रकाश गुप्ता

(अन्तरक)

(2) 1. सौ॰ निलम देवी गलाबचन्द रांका, 2. श्री कस्तूरचन्द मंगलचन्द रांका, गांधीबाग, नागपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं॰ 285 का आधा भाग, दो मंजली मकान, वार्ड नं॰ 23, सतनामी नगर, नागपुर।

ह॰ च॰ श्रीवास्तव
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नागपुर

दिनांक : 19 जून, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, मद्रास

मद्रास, दिनांक 20 मई, 1978

निदेश सं० 14/नव०/77—यतः, मुझे, ए० टी० गोविन्दन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नत्तम रोड, दिन्डुक्कल है, जो

मे स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नागलनायक्कमपट्टी (पत्र सं० 1306/77) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6 नवम्बर 77

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मदुरा कोटस लिमिटेड

(अन्तरक)

(2) मीनाच्ची एस्टेट

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण : इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दिन्डुक्कल, नत्तम रोड टी एस० सं० 71, 72, 73/1, 77/2, 1877 और 1878/2 में 8.19 एकड़ा की भूमि (मकान के साथ) ।

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

दिनांक : 20 मई, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 14 जून 1978

निदेश सं० 25/नवम्बर/77—यत, मुझे, ए० टी० गोविन्दन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिस की सं० 34, 35, 36, रट्टन बाजार, मद्रास I है, जो मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे० एस० आर० I, मद्रास नार्थ 'डाकुमेण्ट 3236/77) मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन दिनांक 15-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) श्री एस० एम० ए० सैयद मोहम्मद बुहारि
(अन्तरक)

(2) श्रीमती सिनि हम्जा बीबि
श्री इस्मायिल
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मद्रास-1, रट्टन बाजार, डोर सं० 34, 35 और 36 म भूमि और मकान

ए० टी० गोविन्दन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेज-I मद्रास

दिनांक 14 जून 1978
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 4 मई 1978

निदेश सं० 1373ए/अर्जन /मु० नगर/77-78/560—

अतः मुझे पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिस की सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मु० नगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 3-11-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ओम प्रकाश दत्तक पुत्र मीरीमल वैश निवासी 24-ए नई मंडी मुजफ्फर नगर

(अन्तरक)

(2) श्री जगबीर सिंह, महेन्द्र सिंह राज कुमार एवं राजवीर सिंह पुत्रगण, रणधीर सिंह कालूराम पुत्र खजान सिंह, हरवीर सिंह एवं रामकुमार पुत्रगण कालूराम नि० ग० ग्राम हरसौली पोस्ट खास परगना वघरा त० एवं जिला मुजफ्फरनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों म से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति म हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क मे परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है।

**अनुसूची**

अचल सम्पत्ति अहाता 1859 वर्गगज स्थित साउट भोपा रोड तहसील एवं जिला मुजफ्फरनगर 66,000) के विक्रय मूल्य में बेची गई।

आर० पी० भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक 4 मई 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 30 मई 1978

निदेश नं० 1561ए/अर्जन/देदून/7778/1045—यतः, मुझे आर० पी० भार्गव,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिस की सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री तिलक राज कपूर मो० लाला राजपत राय दुर्गियाना आवादी अमृतसर

(अन्तरक)

(2) श्री राकेश चन्द मेंहरा 18-वी रेस कोर्स रोड अमृतसर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति भूमि एव बिल्डिंग कनाट कैसिल होटल मसूरी 1,51,000) के विक्रय मूल्य में बेची गई।

आर० पी० भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

दिनांक 30 मई 1978
मोहर :

**प्ररूप आई० टी० एम० एस०—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 जून 1978

निदेश सं० 1433ए/अर्जन/मु० नगर/7778/1105—अतः मुझे आर० पी० भार्गव

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फनगर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 7-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप म कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री ओम प्रकाश दलाक पुत्र मीरीमल, 24-बी, नई मंडी मुजफ्फरनगर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री ग्यानी राम, नई मंडी, मुजफ्फरनगर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि 5350 वर्ग गज स्थित ग्राम कुकरा, जिला मुजफ्फरनगर 80,000 रु० के विक्रय मूल्य बेची गई ।

आर० पी० भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 3 जून 1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनाक 6 जून 1978

निदेश नं॰ 1463ए/अर्जन/मु॰ नगर/77-78/1567—अतः मुझे, आर॰ पी॰ भार्गव,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है
और जिसकी सं॰ अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मुजफ्फरनगर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-11-1977
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सहेन्द्र पाल सिंह पुत्र प्रकाश, नि॰ ग्राम दतियाना, पोस्ट खास, जिला मुजफ्फरनगर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सरला देवी पत्नी सुरेन्द्रपाल सिंह, श्रीमती सुरेश बाला पत्नी कृष्णपाल सिंह, नि॰ ग्राम दतियाना, पोस्ट खास, जिला मुजफ्फरनगर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 6 बीघा एवं 7 बिस्वा स्थित ग्राम दतियाना, जिला मुजफ्फरनगर 47625 रु॰ के विक्रय मूल्य में बेची गई।

आर॰ पी॰ भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख 6 जून 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन, कानपुर

कानपुर, दिनाक 1 जुलाई 1978

निदेश स० अर्जन/1541-ए/मु० नगर/77-78/2007—अत. मुझे आर० पी० भार्गव
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी स० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है'), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मुजफ्फरनगर मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-11-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ख की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :—

1. श्रीमती सत्या भार्गव स्त्री डा० सूरज भान निवासी 271, सिविल लाइन नार्दर्न जि० मुजफ्फर नगर।
(अन्तरक)

2 श्री रवीन्द्र कुमार, अनिल कुमार, प्रवीन कुमार, बिपिन कुमार व अतुल कुमार (ना० बा०) सरक्षिका श्रीमती सरला देवी मा पुत्रान कैलाश चन्द निवासी बाघरा, वर्तमान 36, घेर कालेराम, जिला मुजफ्फरनगर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हू।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो मे से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति भूमि व भवन 695.80 व० ग० स्थित कालापार खास जी० टी० रोड के पास जिला मुजफ्फर नगर 69,140 रु० मे बेची गई।

आर० पी० भार्गव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख. 1-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 21 जुलाई 1978

निदेश सं० 1653-ए/अर्जन/मेरठ/77-78/2102—अतः मुझे एस० एन० गुप्ता,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है तथा जो अनुसूची के अनुसार में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 19-12-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्

1. श्री सरदार निरलाप सिंह पुत्र सरदार गुलाब सिंह निवासी ए०-6 जवाहर क्वार्टर्स मेरठ शहर। (अन्तरक)

2. श्री डाक्टर सतवीर सिंह ढिल्लन एण्ड संस पुत्र मीर सिंह निवासी छिपी टैंक मेरठ (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

अचल सम्पत्ति प्लाट 701 वर्गगज स्थित सिविल लाइन्स मेरठ, 770000/- के विक्रय मूल्य में बेचा गया।

एल० एन० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
(अर्जन रेंज), कानपुर

तारीख : 21-7-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता-16, दिनांक 29 मई 1978

निदेश सं० एस० एल०-447/टि०आर०-186/सि०-171/कल०-I/77-78—अतः मुझे, पि० पि० सिंह, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 3-ए० है तथा जो रीयन स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, Govt. Place, North Calcutta में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 26-11-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री हीरा लाल राय चौधरी डि 59/1 बी० महमूरगुरुगन्ज सीवपुरा भारानसी (अन्तरक)

2. श्रीमती बसन्ती, महिन्दर 93, बिमला स्ट्रीट, कलकत्ता (अन्तरिती)

3. (1) डीन ब्रादर्स

(2) महम्मद अली (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

रजिस्ट्रीकर्ता, रजिस्ट्रार आफ एसुरेन्स कलकत्ता का कार्यालय में 1977 साल का डीड I-5345 अनुसार 3 ए० रिपन स्ट्रीट, कलकत्ता में अवस्थिति लगभग 9 कट्टा 11 छटाक जमीन पर एक तल्ला मकान का अभिवक्त हिस्सा रजिस्ट्री हुआ।

पी० पी० सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-I
54, रफी अहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 29-5-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, एमकुमिग्रन

कलकत्ता, दिनांक 29 मई 1978

निदेश सं० एस. एल० 448/हि० आर०-187(सि०-172/कल०-I/77-78 अतः मुझे, पी० पी० सिंह आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या 3ए० है तथा जो रीयन स्ट्रीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5,गवर्नमेंट प्रेस नार्थ कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 26-11-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिति (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री हीरा लाल राय चौधरी डि० 59/1 बि० महामुरगन्ज, सीवपुरा भारानसी (अन्तरक)

2. श्री मुलनी महिन्दर, 93, सि० (अन्तरिती)

3. (1) मैसर्स डीन ब्रादर्स
(2) महम्मद अली (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

रजिस्ट्रीकर्ता, रजिस्ट्रार आफ इन्स्योरेंस कलकत्ता का कार्यालय में डीड नं० I-5346 अनुसार उस रीयन स्ट्रीट, कलकत्ता में अवस्थित लगभग 9 कट्टा 11 छटाक जमीन पर एक तल्ला मकान का अभिवक्त हिस्सा रजिस्ट्री हुआ।

पी० पी० सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I,
54, रफीअहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख: 29-5-78
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 27 जुलाई 1978

निदेश सं० एस०-19/अर्जन रेंज-IV/कलकत्ता/78-79—अतः मुझे, पी० पी० सिंह
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी संख्या है तथा जो होल्डिंग सं० 98, वार्ड-V सिलिगुडि में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-11-1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पियारीलाल आगरवाल, एण्ड कम्पनी (अन्तरक)

2. श्री ब्रिजलाल अगरवाल (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1000 स्क्वेयर फि० जमीन, साथ दो मंजीला मकान का अविभाजित 1/3 अंश होल्डो सं० 98, वार्ड-V, सिलिगुडि म्युनिपलिटी, दार्जिलिंग, जैसे कि दलील सं० 6417 दि० 19-11-1977 में और पूर्ण रुप से वर्णित है।

पी० पी० सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-IV कलकत्ता
54, रफीअहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 27-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---------

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, IV, कलकत्ता

कलकत्ता तारीख 7 जुलाई 1978

निदेश सं० ए०सी०-20/एक्वा०/आर०-IV/कल०/78-79---

अतः मुझे, पि० पि० सिंह

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० 175/डब्ल्यू० है तथा जो मानिकतला मेन रोड, कल०-54 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सियालदह में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-11-1977 को ;

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन; निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---

1. (1) मल्ली नाथ राय (2) सोमनाथ राय (3) शैलजा राय (4) सिप्रा गुप्त (5) नन्दिता राय और (6) एनाक्षी राय (अन्तरक)

2. श्री सत्यदास लाहिड़ी, अभियनाथ लाहिड़ी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

करीब 11 कट्टा 8 छटाक 30 स्क्वेयर फुट जमीन साथ उस पर बनाया मकान जो 175/डब्ल्यू०, मानिकतला मेन रोड, थाना : फुलबागान, कलकत्ता-54 पर अवस्थित है ।

पि० पि० सिंह
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज IV
54, रफीअहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख: 7-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, तारीख 10-7-1978

निदेश सं० 809/एकुरे-III/78-79/कल०—अतः मुझे, किशोर सेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० गफलैट 'ए०' दोतल्ला है तथा जो 2 मन्डेमिला गार्डेंस, कल० में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-11-77 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से वर्णित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : —

1. मे० सेलोनी ओनारशिप फ्लैट्स स्कीम्स (प्रा०—) लिमि० आफिस : 6 हैरिंगटन स्ट्रीट, कलकत्ता-16 (अन्तरक)

2. मधुलेखा सेन 13 एकडालिया प्लेस, कलकत्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जो 2 मन्डेमिला गार्डेन्स, कलकत्ता पर "जयजयन्ती" नामका मकान में समूचा फ्लेट 'ए' तिनतल्ला पर अवस्थित।

किशोर सेन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III
54, रफी अहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 10-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, तारीख 10-7-78

निदेश सं० 409/एकु०रे०-III/78-79/कल०—अतः मुझे, किशोर सेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या फ्लैट 'सी', तिनतल्ला पर है, तथा जो हमन्डेमिला गार्डेन्स, कल० में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में स्थित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-11-1977 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. मे० सेलोनी ओनरशिप फ्लैटस स्कीम्स (प्रा०) लि० आफिस : 6 हैरिंटन स्ट्रीट, कलकत्ता-16 (अन्तरक)

2. श्रीमति मधुलेखा सेन 13, एकडालिया प्लेस, कलकत्ता (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

समूचा फ्लैट 'सी'-तिनतल्ला पर जो 2 मन्डेमिला गार्डेन्स कलकत्ता पर जयजयन्ती" नामका मकान में अवस्थित।

किशोर सेन
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-III
54, रफी अहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 10-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-IV, कलकत्ता

कलकत्ता, तारीख 20-7-78

निर्देश सं० ए० सी०-21/अर्जन रेंज-IV/कल०/78-79—अतः मुझ, पी० पी० सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी संख्या 2 है तथा जो बेलुड रोड, जिला : हावड़ा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रुप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गौरी शंकर मोहता (अन्तरक)

2. मैसर्स चिरंजीलाल गौरी शंकर एण्ड कम्पनी० (अन्तरिती)

3. ब्रीज किशोर सहाय तथा हरि किशोर सहाय (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

वर्तमान 2 बेलुड रोड (पूर्वतन 3), थाना- बालि, जिला हावड़ा जमीन 2 बीघा 3 कट्ठा 9 छटाक साथ मकान स्ट्राकचर, इरेक्सन गुदाम आदि जैसे के दलील सं० 5079 ता० 5-11-1977 में और पूर्ण रूप से वर्णित है ।

पी० पी० सिंह
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-IV कलकत्ता
54, रफी अहमद किदवई, रोड
कलकत्ता-16

तारीख : 20-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, तारीख 2-8-78

निदेश एस० एल०-455/टि० आर०-208/सि०-191/कल० 1-/77-78—अतः मुझे, आई० वी० एस० सुनेजा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 13 है तथा जो बंकिम चटर्जी स्ट्रीट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेंट प्लेस नार्थ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. सिसिर चन्द डे एण्ड ब्रदर्स, 40 एफ०, भूपेन्द्र बो एविन्यु कलकत्ता। (अन्तरक)

2. (1) श्री सुधांशु शेखर डे
(2) सुभाष चन्द्र डे 31/1/बी, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता।

(अन्तरिती)

3. (1) मैसर्स कलकत्ता पुस्तकालय (2) मैसर्स डे बुक स्टोर्स (3) जे० एन० चक्रवर्ती।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

13 बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता में अवस्थित, तीन तल्ला मकान का 1/6 हिस्सा जो 6 कट्टा 9 छटाक 37 वर्ग फीट जमीन पर अवस्थित और जो 1977 साथ का I-5904 डीड नं० अनुसार रजिस्ट्रार आफ एशयुरेंस में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

आई० वी० एस० सुनेजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I,
54, रफी अहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख: 2-8-78
मोहर:

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, तारीख 2-8-1978

निर्देश एस॰ एल॰-445/टि॰ आर॰-209/सि॰ 191/कल॰-I/77-78—अतः मुझे, आई वी॰ एस॰ सुनेजा, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं॰ 13 है तथा जो बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, 5, गवर्नमेन्ट प्लेस नार्थ कल॰ में, रजिट्रीस्करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती तरुबाला डे 69, रवीन्द्र नाथ टैगोर रोड, दक्सीनश्वर (अन्तरक)

2. (1) श्री सुधांशु शेखर डे (2) श्री सुभाष चन्द्र डे, 31/1/बी॰, महात्मा गांधी रोड (अन्तरिती)

3. (1) मैं॰ कलकत्ता पुस्तकालय (2) मैं॰ डे बुक स्टोर्स (3) जे॰ एन॰ चक्रवर्ती (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

13 बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता में अवस्थित 6 कट्टा 9 छटाक 37 वर्ग फिट जमीन पर तीन तल्ला मकान का 1/6 हिस्सा जो I-5903 आफ 1977 अनुसार रजिस्ट्रार आफ एस्युरेंस में रजिस्ट्रीकरण हुआ।

आई॰ वी॰ एस॰ सुनेजा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I
54, रफी अहमद किदवई रोड,
कलकत्ता-16

तारीख : 2-8-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, तारीख 16 जून 1978

निदेश सं० पी०आर० नं० 589 ए० सी० क्यू०-23-1004/6-1/77-78—अतः मुझे, एस० सी० पारीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० टीका नं० ए०-19/2, सर्वे नं० 27/2, है तथा जो फतेहपुरा मेन रोड, बड़ौदा मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बड़ौदा मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 9-11-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. मनूभाई डाएया भाई पटेल, तथा अन्य, तुन्दव, ता सावली, डिस्ट्रिक्ट बडौदा (अन्तरक)
2. दी विनय केवलाणी ट्रस्ट, फतेहपुरा मेन रोड, बडौदा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक तीन मंजिला मकान जो 1607 वर्ग फुट जमीन पर स्थित है तथा जिसका टीक्का नं० ए०-19/2, सर्वे नं० 27/2 है तथा जो फतेहपुरा मेन रोड, बडौदा में स्थित है। तथा जिसका पूर्ण वर्णन 9-11-77 वाले बिक्री दस्तावेज नं० 299 में दिया गया है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II,
अहमदाबाद

तारीख : 16-6-78
मोहर :

**प्ररूप आई० टी० एन० एस०————**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- , अहमदाबाद

अहमदाबाद, तारीख 16-6-78

निदेश सं० पी० आर० नं० 590-ए० सी०-क्यू०-23 1030/198/77-78—अतः मुझे, एस० सी० परीख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 44, वार्ड नं० 13 है तथा जो अथवा, सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-11-77

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या 'उक्त अधिनियम', या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

(1) शांतिलाल रंगीलदास खांडवाला खांडवाला-नीशेरी वाडी फूलिया, सूरत। (अन्तरक)

(2) श्री चन्द्रवदन ईश्वरलाल पारेख तथा अन्य, "ईश्वर स्मृति", दाना पीठ, सूरत। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

एक खली ज़मीन वाला प्लाट जिसका कुल क्षेत्रफल 877 वर्ग गज है तथा जिसका अथवा नोंध नं० 44, वार्ड नं० 13, है तथा जो अथवा , सूरत में स्थित है तथा जिसका पूरण वरणन 3-11-77 वाले बिक्री दस्तावेज़ नं० 2921 में दिया गया है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

तारीख : 16-6-78
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 1978

निर्देश सं० वी० 39/अर्जन—यतः मुझ, अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 578 मो० साहूकार I का भाग है तथा जो मो० साहूकार बरेली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-11-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री साहू जगदीश कुमार अग्रवाल (अन्तरक)
2. श्री विष्णु कुमार (अन्तरिती)
3. विक्रेता (37-जी फार्म के अनुसार (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. किशन लाल वाणीय व अन्य (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 578 स्थिति मो० साहूकारा बरेली का भाग/क्षेत्रफल आराजी 660 वर्ग गज तथा उक्त सम्पत्ति का वह सब विवरण जो फार्म 37-जी० नं० 5195 तथा सेलडीड में वर्णित है जो कि सब-रजिस्ट्रार बरेली के कार्यालय में 30-11-77 को दर्ज है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 13-7-1978
मोहर :

**प्ररूप आई० टी० एन० एस०—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की**

**धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी/मधिल 78-79/1067—

यतः मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 24-10-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री विजय कुमार पुत्र श्री पंडुरंग बावीसकर द्वारा पावर आफ ऐटर्नी श्री पंडुरंग बावीसकर निवासी 28/1, नार्थ राज मोहला, इन्दौर (अन्तरक)
2. श्री पारसमल पुत्र श्री कन्हैयालाल मेहता, निवासी 20/3, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

म्युनिसिपल मकान नं० 13 का भाग, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर ।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनाक 7 जुलाई 1978

निर्देश स० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 78-79/1068—यतः, मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— रुपये से अधिक है,

और जिसकी स० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-11-77 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्रीमती सुमति बाई पत्नि श्री गोविन्द राव देशमुख निवासी 2, कबूतर खाना, इन्दौर । (अन्तरक)

2. श्रीमती राज कुमारी पत्नी श्री मंगल कुमार जी निवासी 46, लोधी पुरा न० 1, इन्दौर ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

म्युनिसिपल मकान न० 20 का भाग, कबूतर खाना, इन्दौर ।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल कार्यालय

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 78-79/1069 यतः, मुझे, रा० कु० बाली,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० सम्पत्ति है, तथा जो श्योपुर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, श्योपुर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1909 का 16) के अधीन, तारीख 17-11-1977
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान के प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

———

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री भगवान दास पुत्र श्री जगन्नाथ अग्रवाल द्वारा पावर आफ एटर्नी श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री भगवान दास अग्रवाल निवासी संयोगिता गंज, इन्दौर

(अन्तरक)

2. (1) श्री चौथराम (2) श्री पुरुशोत्तम दास (3) श्री बाल किशन सभी पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द्रसर्राफ सभी निवासी श्योपुर कलां जिला मुरैना

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण**:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

कृषि भूमि क्षेत्रफल 7.14 बीघा साथ डाइवर्टेड लेण्ड एरिया 1.19 बीघा साथ मकान व कुआं स्थित कस्बा श्योपुर जिला मुरैना ।
मोहर :

रा० कु० बाली
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 7-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल कार्यालय

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/78-79/1801—यतः, मुझे, रा० कु० वाली, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री अश्विन कुमार पुत्र श्री रसिक लाल (2) मुकेश कुमार पुत्र श्री रसिक लाल निवासी 44, बड़ा सर्राफ इन्दौर (अन्तरक)

2. श्रीमती उषादेवी पत्नी श्री कैलाश चन्द्र जैन निवासी जूना पीठा मैन रोड, इन्दौर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्लाट नं० 19, मीरा पथ, इन्दौर।

रा० कु० वाली
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 78-79 1082—यतः मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 14-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम लाल पुत्र श्री गंगा राम भाटिया निवासी 9/7, नार्थ राज मोहल्ला, इन्दौर (अन्तरक) है।

2. श्रीमती रम्भा बाई पत्नि श्री वरदी चन्द्र जैन निवासी ग्राम छायन तह० बढ़नावर जिला—धार (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 8/4, गली नं० 8, महेश नगर, इन्दौर।

रा० कु० बाली
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978

निदेश सं० आई० ए० एक्वी/भोपाल/78-79/1083—यतः, मुझे, रा० कु० बाली,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—



1. श्रीमती अकीला बेगम पत्नि श्री मोहम्मद अय्यूबखां निवासी 110/1 जूना रिसाला, इन्दौर

(अन्तरक)

2. श्री होतलदास पुत्र श्री हरसूमल झमनानी 55, बड़वाली झांकी, इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का टुकड़ा म्यूनिसिपल नं० 55, बड़वाली चौकी इन्दौर।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-8-1978
मोहर :

**प्रारूप आई० टी० एम० एस०—**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 78-79/1078—यतः, मुझे, रा० कु० बाली, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० स्ट्रक्चर है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 27-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स राज लाइम आक्साइड फैक्ट्री 91/इन्डस्ट्रीयल स्टेट, इन्दौर (अन्तरक)

2. मैसर्स सुनीता लेबोरेट्रीज लि० 89 व 90, इंडस्ट्रीयल स्टेट, इन्दौर (अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 91 पर बने स्ट्रक्चर्स, इंडस्ट्रीयल स्टेट, इन्दौर।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 78-79/1085—यतः, मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो अलीराजपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अलीराजपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 1-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री किशन लाल पुत्र श्री हीरा लाल जी महेश्वरी ग्राम दुधिया तालुका लिमखेड़ा जिला पंचमहाल (गुजरात) (अन्तरक)

2. श्री राधे श्याम व प्रहलाद दास दोनक्ष पुत्र श्री मिश्री लाल बेड़िया निवासी—अलीराजपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 16 वार्ड नं० 10, महात्मा गांधी मार्ग, अलीराजपुर (म० प्र०)।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल 78-79/1976—यतः, मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो उज्जैन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गेंदा लाल पुत्र लाल श्री नारायण जी कोटी वाले जाति ब्राह्मण निवासी स्टेशन रोड, उज्जैन (अन्तरक)

1. (1) मैसर्स दुर्गा प्रसाद मोहन लाल स्टेशन रोड, उज्जैन (3) श्री दुर्गा प्रसाद (3) श्री राम नारायण दोनों पुत्र श्री मुरली धर व (4) श्री मोहन लाल पुत्र श्री रामनारायण जी निवासी स्टेशन रोड, उज्जैन। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान म्युनिसिपल नं० 1 : 166 नया नं० 33, सुभाष मार्ग, स्टेशन रोड, उज्जैन।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल कार्यालय

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भो ाल 78-79/1987—यतः, मुझे, रा० कु० बाली, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री कन्हैया लाल जैसा राम, जावरा कम्पाउन्ड, इन्दौर (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती इन्द्रवती पत्नि श्री जीवन प्रकाश (2) श्रीमति जालना देवी पत्नि श्री ओम प्रकाश निवासी रवीन्द्र नाथ टैगोर मार्ग, इन्दौर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 424, न्यू मंडी, इन्दौर।

रा० कु० बाली
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978

निदश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल/78-79/1088—यतः, मुझे, रा० कु० बाली, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है, तथा जो सेवनिया भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 7-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री प्रभु दयाल निवासी ग्राम सेवनिया गौड भदभदे के पास तह० हुजूर जिला भोपाल (अन्तरक)

2. श्री दिलीप पी० गौकुल दास पुत्र श्री प्रताप सिंह गौकुल दास निवासी 12, फ्रेंच ब्रिज, चौपाती, बाम्बे 400007 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि 10.07 एकड़ खसरा नं० 60 व 61/1, ग्राम सेवनिया गौड तह० हुजूर जिला भोपाल ।

रा० कु० बाली
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एल० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्सी०/भोपाल-78/79/1089—यतः, मुझे, रा० कु० बाली,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 14-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती दमयन्ति भटनागर पत्नि स्व० डा० भगवान स्वरूप भटनागर सिविल लाइन्स रायपुर (अन्तरक)

2. श्रीमती सुभद्रा अग्निहोत्री पत्नि श्री राम किशोर अग्निहोत्री अवकाश प्राप्त अधिकारी स्टेट बैंक आफ इंडिया सिवनी, मालवा होशंगाबाद (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० ई० 3/67, के पीतल प्रोजेक्ट भोपाल सर्किल नं० 40/1-5-74 जोन 9, डिवीजन भोपाल ।

रा० कु० बाली,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 3-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 31 जुलाई 1978

निर्देश सं० के० एन० एल०/54/77-78—यतः मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानिया, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, रोहतक,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० प्लाट जिसका रकबा 1298 वर्गगज है, तथा जो रेलवे रोड, करनाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, करनाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर, 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (i) श्री रामेश्वर दास पुत्र श्री गेंडा राम
(ii) सर्वश्री नन्द किशोर, राकेश कुमार, रंजन पुत्रान श्रीमती शकुन्तला देवी,
(iii) श्रीमती स्नेह लता तथा रेखा, सपुत्री श्री रामेश्वर दास निवासी करनाल

(अन्तरक)

2. श्री माम चन्द गुप्ता पुत्र श्री जय भगवान मार्फत गुप्ता फोटो स्टूडियो सराफा बाजार, करनाल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1298 वर्गगज है, और जोकि रेलवे रोड, करनाल में स्थित है।

(सम्पत्ति जैसेकि रजिस्ट्रीकर्ता करनाल के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक नं० 4698 तिथि 15-11-1977 पर दर्ज है)।

रवीन्द्र कुमार पठानिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 31-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एस० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 31 जुलाई 1978

निर्देश सं० के० एन० एल०/55/77-78—यतः, मुझे, रवीन्द्र कुमार पठानिया, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, रोहतक,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1347 वर्ग गज है, तथा जो रेलवे रोड, करनाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, करनाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख नवम्बर 1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

1. (1) श्री रामेश्वर दास पुत्र श्री गेंडा राम
   (2) सर्वश्री नन्द किशोर, राकेश कुमार, रंजन पुत्रान श्रीमती शकुन्तला देवी
   (3) श्रीमती सनेह लता तथा रेखा, सुपुत्री श्री रामेश्वरम दास निवासी करनाल

(अन्तरक)

2. श्रीमती विद्या वती, पत्नी श्री भगवान दास निवासी ए०-479, सदर बाजार करनाल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जिसका क्षेत्रफल 1347 वर्गगज और जोकि रेलवे रोड, करनाल में स्थित है ।

(सम्पत्ति जैसे कि रजिस्ट्रीकर्ता करनाल के कार्यालय में रजिस्ट्री क्रमांक 4699 तिथि 15-11-1977 पर दर्ज है) ।

रवीन्द्र कुमार पठानिया
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, रोहतक

तारीख : 31-7-1978

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 269-घ ( 1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 27 जुलाई 1978

निर्देश सं० राज०/सहा० आ० अर्जन/426—यतः, मुझे, एम० पी० वशिष्ठ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० . . . है, तथा जो लंगर के बालाजी, जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तारीख 24-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स राधावल्लभ पुत्र बाबूलाल टीबड़ेवाला स्वयं एवं मुख्तारआम श्री सत्यनारायण झाबरमल एवं दूसरे साझेदार राजस्थान वीविंग मिल्स, 24 कालबा देवी रोड, जयपुर (अन्तरक)

2. श्री राम सरण अग्रवाल पुत्र श्री जगदीश नारायण अग्रवाल द्वारा संरक्षक श्री जगदीश नारायण, सिंधी कैम्प, स्टेशन रोड, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

287.73 वर्गमीटर, टीन शैड पोरशन, लंगर के बालाजी का रास्ता, गणगोरी बाजार में स्थित बड़े गेट वाली सम्पत्ति में से, जो उप पंजियक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2208 दिनांक 24-11-77 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

एम० पी० वशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 27 जुलाई 1978
मोहर :

**प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनाक 27 जुलाई 1978

निर्देश सं० राज०/सहा० आ०/अर्जन/427—यत, मुझे, एम० पी० वशिष्ठ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० ....है, तथा जो जयपुर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 24-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स राधाबल्लभ पुत्र बाबूलाल टीबड़ेवाला स्वयं एवं मुख्तारआम श्री सत्यनारायण, झाबरमल एवं दूसरे पार्टनर्स, राजस्थान वीविंग मिल्स, 201 कालबा देवी रोड़, बम्बई-2 (अन्तरक)

2. श्री गिरराज प्रसाद पुत्र द्वारकादास प्लाट नं० डी-49 ज्योतिमार्ग, बापूनगर, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद मे समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

गणेगौरी बाजार चौ० पुरानी बस्ती रास्ता लंगर के बालाजी में बड़े दरवाजे वाली बिल्डिंग उत्तरामुखी के पूर्व की तरफ रास्ते सरकारी में एक जमीन का टुकड़ा जो उप पंजीयक,जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2207 दिनाक 24-11-77 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

एम० पी० वशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 27-7-1978
मोहर :

**फार्म आई० टी० एन० एस०—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज, जयपुर कार्यालय

जयपुर, दिनांक 27 जुलाई 1978

निर्देश सं० राज०/सहा० आ०/अर्जन/428—यतः, मुझे, एम० पी० वशिष्ठ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० ..... है, तथा जो जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 31-12-1977

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. मैसर्स राधाबल्लभ पुत्र बाबूलाल टीबड़ेवाले स्वयं एवं मुख्तारआम श्री सत्यनारायण अबरमल एवं अन्य साझेदार राजस्थान वीविंग मिल्स, 201 कालबा देवी रोड़, बम्बई-2 (अन्तरक)

2. श्री मैसर्स लक्ष्मीनारायण राधेश्याम काबरा द्वारा इसके पार्टनर लक्ष्मीनारायण, राधेश्याम, श्रीराम एवं जानन्द, छोटी चोपड़, जयपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो, उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

बड़े दरवाजे वाली बिल्डिंग, लंगर के बालाजी का रास्ता, जो उप पंजीयक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2538 दिनांक 31-12-77 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० पी० वशिष्ठ
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 27-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 27 जुलाई 1978

निर्देश स० राज०/सहा० आ०/अर्जन/429—यतः, मुझे, एम० पी० वाशिष्ठ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 128 है, तथा जो औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पूर्ण जयपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-12-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स साह इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, झोटवाड़ा, औद्योगिक क्षेत्र, झोटवाड़ा जयपुर (अन्तरक)
2. मैसर्स इनकान (इंडिया, लिमिटेड, 128, इंडस्ट्रीयल एरिया, झोटवाड़ा, जयपुर (अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 128 पर स्थित, झोटवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जो उप पंजियक जयपुर द्वारा क्रम संख्या 2273 दिनांक 3-12-77 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र मे विस्तृत रूप से विवरणित है।

एम० पी० वाशिष्ठ
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षक)
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 27 जुलाई, 1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बम्बई
बम्बई, दिनांक 30 जून 1978

निर्देश स० अ० इ० 2/2525-3/नवम्बर-77—यतः मुझे, जी० ए० जेम्स,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मलाड सीटी स० नं० 641 का भाग टिका नं० 79 जलता नं 646/1 से 641/11 है, तथा जो मलाड में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती अन्नपूर्णाबाई हिमतलाल मेहता (अन्तरक)
2. मैसर्स टॉप बिल्ट को० आप० आउ० सो० लिमिटेड (अन्तरिती)
3. (1) श्री रेवाशंकर डी० मेहता, (2) श्रीमती शारदा आर० देसाई, (3) श्री हेमराज एच० करानी, (4) श्रीमती वासुमतिबेन एच० पटेल, (5) श्री कल्यानजी पोनशी शाह, (6) श्री भंवरलाल एस० बफना, (7) श्री नवीनचन्द्र के० शाह, (8) श्री जयसिंह सी० वेद, (9) श्री भाल चन्द्र ए० त्रिवेदी, (10) श्री कांतिलाल आर० घेडिया, (11) श्री भारत डी० पारिख, (12) श्री अजितसिंह एम० रामैया, (13) श्री हरिलाल टी० वदेरा, (14) श्री भोगीलाल ए० शाह, (15) श्रीमती भानुमति आर० सूचक।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. (1) श्री रेवाशंकर डी० मेहता, (2) श्रीमती शरदाबेन रामनलाल देसाई, (3) श्री हंसराज हेमराज करानी, (4) श्रीमती वासुमती हरिश्चन्द्र पटेल, (5) श्री कल्यानजी पुन्शी शाह, (6) श्री नवीनचन्द्र केशवलाल शाह, (7) श्री भनवरलाल शेषमल बफना, (8) श्री जयसिंह चरनदास वेद, (9) श्री भालचन्द्र अमृतलाल त्रिवेदी, (10) श्री कांतिलाल रामजी, (11) श्री भरत द्वारकादास पारिख, (12) श्री मधुसूदन एच० मेहता, (13) श्री देवेन्द्र एच० मेहता, (14) श्री भागीलाल अंबालाल शाह (15) श्रीमती भानुमति आर० सूचक

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का वह समेाम टुकड़ा या भाग जो "मारवाड़ी" व "नवधर" नाम से जानी जाने वाली जमीन का हिस्सा है और मलाड, पोर्ट टुकड़ी, बान्द्रा, तालुका सलसेट्ट में, रजिस्ट्री उप-जिला बांद्रा, बम्बई उप नगर जिले के अन्तर्गत मौजूद है, माप से 870 वर्ग गज लगभग 727 वर्गमीटर के बराबर है, मलाड सिटी सर्वे नं० 641 व टिका नं० 79 और चलता नम्बर 641/1 से 641/11 का अंग है, इस पर खड़ी "आनंद निवास" नामक इमारत सहित, वृहत्मुंबई नगर निगम के असैसर और कलक्टर द्वारा पी० वार्ड नं० 5493–5499/73/2-3, कस्तूरबा क्रॉस लेन, व जी० आर० डब्ल्यू० नं० पी-5497 के तहत निर्धारित (असैस) है—उत्तर में एक निकास, दक्षिण में मलाड सिटी सर्वे नं० 642 व 643, पश्चिम में सिटी सर्वे नं० 641 (भाग) और पूर्व में एक सड़क।

जी० ए० जेम्स
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 30-6-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर

बंगलूर, दिनांक 12 जुलाई 1978

निर्देश सं० सी० आर० नं० 62/14387/78-79/ए० सी० क्यू०/बी०—यतः, मुझे, जे० एस० राव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० खाली घर की जगह है, तथा जो राजमहल विलास एक्सटनशन आठ मेन रोड सं० 48/41 बेंगलूर (iv-45) में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गांधीनगर, बेंगलूर दस्तावेज सं० 2389/77-78 में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-11-77 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री के० एस० सीरीधारन, पुत्र श्री के० एन० शेषादरी अद्दनगार, सं० 27, हेच बी० समाना रोड, बासावनगुडी बेंगलूर (अन्तरक)

2. श्रीमती सरला रानी पत्नी मिस्टर बी० दास, सं० 11, अस्सप्पा रोड, शांति नगर, बेंगलूर—27 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2389/77-78 तारीख 21-11-77)

खाली घर की जगह जिसका सं० 48/41, राजीमहल विलास एक्सटन्शन, 8 मेन रोड, बेंगलूर।

बौनडारीस :—

पूरब—साइट सं० 41,
पश्चिम—रोड,
उत्तर—साइट सं० 47 और
दक्षिण—रोड।

जे० एस० राव,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 12-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)
की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बंगलूर कार्यालय
बंगलूर, दिनांक 12 जुलाई 1978

निर्देश सं० सी० आर० सं० 62/14299/78-79/ए० सी० क्यू०/बी०—यतः, मुझे, जे० एस० राव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० खाली जगह (साइट) 192 है, तथा जो मैसूर सब एरिया आफीसरस शेजिंग कालोनी 6 मेन रोड तीसरा क्रास मि बिनीमंगला लौट बगलूर-38 दस्तावेज सं० 2292/77-78 मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-12-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचने, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. कमान्डर एन० आर० राव पुत्र श्री एच० नारायणा राव, 314, सम्पीरो रोड मलशवारम, बेंगलूर-3 (अन्तरक)

2. श्री विजय सी० कपूर, पुत्र लेट श्री हरनामदास कापूर 17/ए०, अलसूर रोड, बेंगलूर-8 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

(दस्तावेज सं० 2292/77-78 तारीख 12-12-1977)

खाली कारनर की जगह जिसका स० 192 बिनीमंगला लेआउट, मैसूर सब एरिया आफीसरस कालोनी, 6 मेन रोड, तीसरा क्रास, बंगलूर-38 ।

बान्डारीस— :

पूर्व—तीसरा क्रास रोड,
पश्चिम—साइट सं० 193,
उत्तर—साइट सं० 180 और
दक्षिण—6 मेन रोड ।

जे० एस० राव
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बंगलूर

तारीख : 12-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 1 अगस्त 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०/III/195/नवम्बर/77-78/1894—यतः, मुझे, जे० एस० गिल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० सी०-42 है, तथा जो कैलाश अपार्टमेन्ट, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री वेद प्रकाश, सुपुत्र एल० बिशन चन्द, निवासी ऐक्स-25(×25), हाउस खास, ऐनकलैव, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री सतीश्वर दयाल गलगोतिया, सुपुत्र श्री विरेशवर दयाल गलगोतिया, निवासी ए०-15 ए०, हाउस खास ऐनकलैव, नई दिल्ली-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एन निवासी फ्लैट जिसका नं० 42 है (इसकी चौथी मंजिल पर जोकि मन्टी स्टोरी है), ब्लाक नं० 'सी' है, कैलाश अपार्टमैन्ट, लेडी श्रीराम कालेज के सामने, लाला लाजपत राय रोड, नई दिल्ली-48 में है ।

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 1-8-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्यु०/1/एस० आर०/III/200/नवम्बर-1 (18)/77-78/1894—यत:, मुझे, जे० एस० गिल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सी०-4/91 है, तथा जो दया नन्द कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 511-1977 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अमृतलाल कोछड़, सुपुत्र श्री दौलत राम, निवासी एल०-26, कालकाजी, नई दिल्ली (अन्तरक)

2. श्री पवन कुमार जैन, सुपुत्र श्री रतन लाल जैन, निवासी सी-4/91, दया नन्द कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली-1 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में यथा-परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० सी-4/91 जिसका क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है, दया नन्द कालोनी, लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है।

जे० एस० गिल
सक्षम प्रधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 31-7-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली-1

4/14 क, आसफअली मार्ग, नई दिल्ली

नई दिल्ली-1, दिनांक 31 जुलाई 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1/एस० आर०-III/210/नवम्बर-1 (19)/77-78/1894—यत:, मुझे, जे० एस० गिल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- और जिसकी सं० ई-11/38 है, तथा जो लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-11-1977

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बसन्त लाल हरीआसरा, सुपुत्र स्वर्गीय श्री हरबक्स राय, निवासी नं० 24, सैन्ट्रल विस्ता होस्टल, डा० राजीन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-1

(अन्तरक)

2. श्री रवि कुमार सेतिया, सुपुत्र श्री मुरारी लाल सेतिया, निवासी जे-4, जंगपुरा ऐक्सटैन्शन, नई दिल्ली-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:**—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

जायदाद जिसका नं० ई-II/38 (पूर्वी भाग) है, और क्षेत्रफल 100 वर्ग गज है, लाजपत नगर, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : जायदाद नं० ई-11/37,
पश्चिम / जायदाद नं० ई-11/38 ('पश्चिमी हिस्सा)
उत्तर : सर्विस लेन;
दक्षिण : मेन रोड।

जे० एस० गिल
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-1

तारीख : 31-7-1978
मोहर :

**प्ररूप आई० टी० एन० एस०—**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज III दिल्ली-1

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त, 1978

निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्यु० III/ /एस० आर०-III/ नवम्बर / 798/77-78/ 2005 :—अतः मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है,

और जिसकी सं० 1800/1 से 1800/4 तथा 1802/1, 2, 1808, 1803/ 2 तथा 1809/2 छतरपुर गांव , डी० एल० एफ० है, तथा जो फार्मिंग एरिया, तहसील महरौली, नई दिल्ली-30 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23-11-1977 ।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री करण सिंह, सुपुत्र श्रीमती कमलजीत कौर, इकने जनरल अटार्नी श्रीमती कमलजीत कौर के द्वारा निवासी ए० -603, कर्जन रोड, अपार्टमैन्ट, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) देव प्रताप सिंह, सुपुत्र श्री आई० पी० सिंह, निवासी

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

**स्पष्टीकरण** :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

कृषि भूमि जिसका क्षेत्रफल 19 बीघा तथा 16 बिसवा है और खसरा नं० 1800/1 (मिन ) क्षेत्रफल 1 बीघा तथा 1 बिसवा; 1800/2 (1-2), 1800/3 (1-2), 1800/4 ( मिन ) (1-2), 1802/1 ( मिन ) (1-11), 1802/2 ( मिन ) (1-18), 1808 (4-16) 1803/2 (3), तथा 1809 /2 (3-8), छतरपुर गांव, डी. एल० एफ०, फार्मिंग एरिया, महरौली, नई दिल्ली में है ।

डी० पी. गोयल
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज III दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 5-8-78

मोहर :

## SUPREME COURT OF INDIA

(ADMN. BRANCH I)

New Delhi, the 27th July 1978

No. F.6/78-SCA(I).—The Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to promote and appoint Shri S. P. Jain, P.A. to Registrar as Officiating Private Secretary to the Hon'ble Judge, Supreme Court of India, with effect from the forenoon of 25 July, 1978 to 9 September, 1978 (bdi) until further orders *vice* Shri K. K. Mehan Private Secreatry to Hon'ble Judge granted leave.

MAHESH PRASAD,
Dy. Registrar (Admn. I)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 24th June 1978

No. A. 32016/2/78-Admn. II.—The Secretary, Union Public Service Commission hereby appoints Shri Ram Singh ,a permanent Research Assistant (R&S) and officiating as Research Investigator in the office of Union Public Service Commission, to officiate on an *ad hoc* basis as Junior Research Officer (R&S) in the Commission's office for the period from 26-6-1978 to 25-9-1978, or until further orders, whichever is earlier, *vice* Smt. Raj Kumari Anand, Junior Research Officer (R&S) granted leave.

P. N. MUKHERJEE, Dy. Secy.
*for* Secy.

New Delhi-110011, the 20th July 1978

No. A. 32014/1/78-Admn.I.—The President is pleased to allow Shri S. P. Mehra, permanent Personal Assistant (Grade C of CSSS) of the cadre of Union Public Service Commission and at present officiating in the Selection Grade for Grade C Stenographer, who was appointed to officiate as Senior Personal Assistant upto 30-6-1978 on purely temporary and *ad hoc* basis *vide* orders of even No. dated 15-5-78, to continue to officiate as Senior P.A. (Grade B of CSSS) in the same cadre on a purely provisional temporary and *ad hoc* basis for a period of 2 months w.e.f. 1-7-78 to 31-8-78 or until further orders, whichever is earlier.

Shri Mehra should note that his appointment as Senior P.A. (Grade B of CSSS) is purely temporary and on *ad hoc* basis and will not confer any title for absorption in Grade B of CSSS or for seniority in that Grade. Further the appointment is subject to the approval of Department of Personnel & Administrative Reforms.

The 21st July 1978

No. A. 32014/1/78-Admn.III(1).—The President is pleased to appoint Shri N. K. Dhingra, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate, on an *ad hoc* basis, in the Section Officers' Grade of the Service for a period of 47 days from 1-7-78 to 16-8-78 or until further orders, whichever is earlier.

No. A. 32014/1/78-Admn. III (2)—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission to officiate as Section Officer on *ad-hoc* basis for the periods indicated against each or until further orders, whichever is earlier :—

| S. No. Name | Period for which promoted as Section Officer. |
|---|---|
| 1 2 | 3 |
| 1. Shri K. L. Sharma | for a further period from 1-8-78 to 31-10-78. |
| 2. Shri H. S. Bhatia | for a further period from 1-8-78 to 31-10-78. |
| 3. Shri I. J. Sharma | for a further period from 1-8-78 to 31-10-78. |
| 4. Shri B. R. Basra | for a further period from 18-7-78 to 29-9-78 |
| 5. Shri R. K. Jasuja | for a further period from 16-7-78 to 28-8-78. |
| 6. Shri R. K. Mago | for a further period from 9-7-78 to 31-8-78. |
| 7. Shri S. N. Sharma | for a further period from 8-7-78 to 28-8-78. |
| 8. Shri G. Natarajan | (i) for a further period from 8-7-78 to 12-7-78.<br>(ii) from 17-7-78 to 31-8-78 (46 days). |
| 9. Shri Jai Nrain | for a further period from 8-7-78 to 29-7-78. |

No. A. 32014/1/78-Admn.III(3).—The President is pleased to appoint Shri S. R. Khanna, a permanent Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Union Public Service Commission, to officiate on an *ad hoc* basis in the Section Officers' Grade of the service for a period of 46 days from 13-7-78 to 27-8-78 or until further orders, whichever is earlier.

The 25th July, 1978

No. A. 11016/1/76-Adm. III—The President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of the C.C.S. cadre of Union Public Service Commission to perform the duties of Desk Officer, for the periods indicated against each or until further orders, whichever is earlier, in the/ office of Union Public Service Commission.

| S. No. Name | Period |
|---|---|
| 1. Shri B. S. Jaggopota | 30-6-78 to 28-2-79 |
| 2. Shri B.S. Kapur | 1-7-78 to 28-2-79 |
| 3. Shri J. P. Goel | 1-7-78 to 28-2-79 |
| 4. Shri R. N. Khurana | 16-7-78 to 28-2-79 |
| 5. Shri S. Srinivasan | 16-7-78 to 28-2-79 |
| 6. Shri D. P. Roy | 18-7-78 to 28-2-79 |

2. The above officers shall draw Special Pay @ Rs. 75/- per month in terms of D.O.P. & A.R. O. M. No. 12/1/74-CS(I) dated 11-12-75.

The 31st July 1978

No. A. 12025(ii)/1/77-Admn.III.—Consequent on his nomination to the Ministry of Petroleum, Chemicals & Fertilizers (Department of Petroleum) for appointment as Section Officer, Shri G. Natarajan, a permanent Assistant of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission and officiating as Section Officer on *ad hoc* basis *vide* Union Public Service Commission Notification No. A. 32014/1/78-Admn. III dated 21st July, 1978, has been relieved of his duties in the office of Union Public Service Commission with effect from the afternoon of 31-7-78.

P. N. MUKHERJEE
Under Secretary (Admn.)
(Incharge of Administration)
Union Public Service Commission

New Delhi-110011, the 17th July 1978

No. A.32013/2/77-Admn.I(ii).—The Chairman, Union Public Service Commission hereby appoints Shri V. N. Vaidyanathan, Assistant Planning Officer in the Directorate General, A.I.R., and officiating as Under Secretary in the office of the Union Public Service Commission to officiate as Deputy Secretary in the office of the Union Public Service Commission on *ad hoc* basis with effect from the forenoon of 17-7-1978 to 16-10-1978 or until further orders, whichever is earlier, *vide* provisio to Regulation 4 read with Regulation 7 of the Union Public Service Commission (Staff) Regulations, 1958, amended uptodate.

The 21st July 1978

No. A.12025/1/77-Admn.II.—The Chairman, Union Public Service Commission, hereby appoints Shri Pradeep Mehta to the temporary post of Engineer in the office of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of the 7th July, 1978 until further orders.

P. N. MUKHERJEE
Under Secretary
*for* Chairman
Union Public Service Commission

---

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A.R.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 26th July 1978

No. A-19021/10/78-Ad.V.—The President is pleased to appoint Shri D. Mukherji, IPS (1971-T.N.) as Assistant Inspector General of Police, Central Bureau of Investigation on deputation basis with effect from the forenoon of 30-6-78 and until further orders.

No. A.19021/11/78-Ad.V.—The President is pleased to appoint Shri P. Ananthasayanam Reddy, IPS (1968-A.P.) as Supdt. of Police in the C.B.I. with effect from the afternoon of 12-7-78 on deputation basis and until further orders.

K. K PURI
Deputy Director (Admn.)
C.B.I.

---

New Delhi, the 28th July 1978

No. K-17/74-Ad.V.—On the expiry of his term of deputation in the C.B.I., the services of Shri K. K. Bajaj, Chief Technical Officer (Accounts and Income-tax), C.B.I. have been placed back at the disposal of Central Board of Direct Taxes with effect from the forenoon of 26th June, 1978.

The 31 July 1978

F. No. B-5/74-Ad.V.—On repatriation, the services of Shri B. K. Gill, Dy. Supdt. of Police, an officer of the Gujarat State Police on deputation to CBI, Ahmedabad are placed back at the disposal of the State Govt. with effect from 1-7-78 (F.N.).

2. Notification No. B-5/74-Ad.V dated 14-7-78 is hereby cancelled.

The 1st August 1978

F. No. A-19036/9/78-Ad.V.—The Director, C.B.I. & I.G.P., SPE is pleased to appoint Shri S. J. Sargunar, a deputationist Inspector of Tamil Nadu State, to officiate as Dy. Supdt. of Police, C.B.I., S.P.E., Madras with effect from the forenoon of 14-7-78 and until further orders.

F. No. A-19036/14/78 Ad.V.—The Director, C.B.I. & I.G.P. S.P.E. hereby promotes Shri M. P. Singh, Inspector of Police, C.B.I. to officiate as Dy. Supdt. of Police in the C.B.I., S.P.E. with effect from the forenoon of 14-7-78 in a temporary capacity until further orders.

M. K. AGARWAL
Administrative Officer (A)
C.B.I.

---

New Delhi, the 28th July 1978

No. A-31013/3/75-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Badri Sharma, officiating Supdt. of Police on deputation in the Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment from DANI POLICE, as Superintendent of Police in Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment in a substantive capacity on permanent absorption with effect from 1-7-1978 (F.N.).

No. A-31013/3/75-Ad.I.—The President is pleased to appoint the following officiating Supdts. of Police in the Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment, as Supdts. of Police, Central Bureau of Investigation/Special Police Establishment in a substantive capacity with effect from 1-7-1978 (FN) :—

Shri Raghuvendra Narain Sinha
Shri P. S. Mahadevan
Shri Ravendra Narain Sinha

JARNAIL SINGH
Administrative Officer(E) CBI

---

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110024, the 29th July 1978

No. E-38013(3)/78-Pers.—On transfer to Calcutta, Shri N. K. Khajuria, relinquished the charge of the post of Asstt. Comdt. CISF Unit, DSP Durgapur with effect from the forenoon of 17th June 1978.

No. E-16013(1)/1/78-Pers.—On his appointment on deputation Shri K. L. Dewan IPS (Har-57) assumed the charge of the post of Dy. Inspector-General (Prov. and L&R) at CISF Hqrs. with effect from the forenoon of 29th July 1978.

No. E-16014(1)/18/73-Pers.—Shri V. V. Sardana IPS (MT Cadre), Asstt. Inspector-General (Pers.), C.I.S.F. HQrs., New Delhi while proceeding on leave prior to his repatriation to State Cadre, relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 10th July 1978.

R. C. GOPAL
Inspector-General/CISF

---

OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi, the 31st July 1978

No. 5532-GE.I/S-28 dated 22-12-77.—Shri S. Manzur-e-Mustafa, IAAS retired from Govt. service with effect from 30-11-1977 (AN).

No. 1-GE.I/121-77 dated 2-1-78.—Comptroller & Auditor General of India is pleased to promote Shri Vijay Kumar, an officer in the Senior time scale of IAAS, to officiate in the junior administrative grade of the service (scale Rs. 1500—60—1800—100—2000) while holding the post of Deputy Secretary in the Ministry of Agriculture and Irrigation Department of Irrigation, New Delhi with effect from 20-12-1977 until further orders, under the second proviso to F.R. 30(1).

No. 861-GE.I/121-77 dated 27-2-78.—Comptroller & Auditor General of India is pleased to promote Shri P. K. Brahma, an officer in the senior time scale of IAAS, to officiate in the junior administrative grade of the service (scale of Rs. 1500—60—1800—100—2000) while holding the post of Deputy Secretary in the Ministry of Defence (Department of Defence), New Delhi with effect from 20th January, 1978 until further orders, under the second proviso of F.R. 30(1).

No. 929-GE.I/S-121/PF.Pt.II dated 4-3-78.—On attaining the age of superannuation Shri G. C. Shukladas, IAAS, retired from Govt. service on 28th February, 1978 (AN).

No. 900-GE.I/C-24/PF.Pt.II dated 4-3-78.—On attaining the age of superannuation Shri E. V. Chandrasekharan, IAAS, retired from Govt. service on 28th February, 1978 (AN).

No. 1536-GE.I/84-78 dated 13-4-78.—The Comptroller & Auditor General of India is pleased to appoint the following officers of IAAS to Accountant General level II Grade (2250—125/2—2500) in an officiating capacity while holding the posts mentioned against them with effect from the date indicated against each until further orders under second proviso to FR. 30(1).

1. Shri S. G. Stephen, Joint Secretary, Ministry of Defence. (Department of Defence & Supplies), New Delhi—3-9-77.

2. Shri K. L. Jhingan, Finance Director, Uttar Pradesh, Jal Nigam, Lucknow—22-11-77.

No. 1981-GE.I/R-72/PF.Pt.II dated 9-5-78.—Shri V. N. Ram Rao, IAAS has retired from service with effect from 30th April, 1978 (AN).

No. 2788-GE.I/R-14/PF.Pt.V dated 29-6-78.—Consequent upon his permanent absorption in the Engineers India Ltd., New Delhi, in public interest, with effect from 1st November 1977, Shri M. Ramaswamy IAAS is deemed to have retired from Govt. Service with effect from the same date in terms of rule 37 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.

No. 2910-GE.I/R-20/PF dated 4-7-78.—Shri G. Ramachandran, IAAS has retired from service with effect from 30th June, 1978 (AN).

M. M. B. ANNAVI
Asstt. Comptr. & Auditor General (Personnel)

## INDIA AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
## OFFICE OF THE A.G.C.R.

New Delhi-2, the 31st July 1978

No. Admn./O.-224/5/Promotion/77-79/797.—Consequent on their attaining the age of Superannuation, the following Accounts Officers of this office have retired from Govt. service, in the afternoon of 31st July, 1978.

*Name* :

1. Shri J. R. Sharma, (Permanent A.O.)
2. Shri Jiwanda Ram, (Permanent S.O. & Off. A.O.)

(Sd/-) ILLEGIBLE
Sr. Dy. Accountant General (Admin)

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL MAHARASHTRA-I

Bombay-400 020, the 20th July 1978

No. Admn. I/Genl/IAD/31-Vol. III/C 1 (J)/4—The Accountant General, Maharashtra-I, Bombay is pleased to appoint the following members of the S.A.S. to officiate as Accounts Officers in this office with effect from the date mentioned against each of them until further orders.

| | |
|---|---|
| 1. Shri J. Ramamurthy | 4-7-1978 AN. |
| 2. Shri V. A. Chaoji | 23-6-1978 FN |
| 3. Shri P. P. Wani | 19-6-1978 FN |
| 4. Shri V. K. Joshi | 16-6-1978 FN |
| 5. Shri Y. Varada Rao | 16-6-1978 AN |
| 6. Shri Y. B. Dixit | 26-6-1978 FN |
| 7. Shri B. G. Taide | 16-6-1978 FN |

SMT. R. KRISHNAN KUTTY,
Sr. Dy. Accountant General/Admn.

## DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
## OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi the 25th July 1978

No. 40011(2)/78/AN-A—(i) The undermentioned Accounts Officers were/will be transferred to the Pension Establishment with effect from the afternoon of the date shown against each on their attaining the age of Superannuation.

| Sl. No. Name with Roster Number | Grade | Date from which transferred to Pension Establishment. | Organisation |
|---|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
| S/Shri | | | |
| 1. H. L. Arora, (P/45) | Permanent Accounts Officer | 30-3-78 | Controller of Defence Accounts Western Command, Meerut. |
| 2. K. Yegnaraman (P/68) | Do. | 31-3-78 | Joint Controller of Defence Accounts (Funds) Meerut. |
| 3. G. D. Goyal, (P/207) | Do. | 30-4-78 | Controller of Defence Accounts (Other Ranks), North, Meerut. |
| 4. O. P. Gupta, (P/223) | Do. | 30-4-78 | Controller of Defence Accounts (Other Rank), North, Meerut |
| 5. V. Krishnamurthy (P/295) | Do | 31-3-78 | Controller of Defence Accounts (Other Ranks), South, Madras. |
| 6. V. Radhakrishnan, (P/358) | Do. | 30-4-78 | Controller of Defence Accounts Southern Command Poona. |
| 7. R. L. Kalra, (P/361) | Do. | 31-3-78 | Controller of Defence Accounts (Factories), Calcutta. |
| 8. H. K. Sharma (O/5) | Officiating Accounts Officer. | 6-2-78 | Controller of Defence Accounts Western Command, Meerut. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Ramji Lal Bhardwaj (O/133) | Officiating Accounts Officer | 22-2-78 | Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta. |
| 10. | Atmaram Chatterjee (O/173) | Do | 30-4-78 | Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta. |
| 11. | S. Venkataraman (O/209) | Do. | 31-3-78 | Controller of Defence Accounts (Other Ranks) South, Madras. |
| 12. | Y. N. Chopra (O/272) | Do. | 30-4-78 | Controller of Defence Accounts Northern Command, Jammu Cantt. |
| 13. | Adinath Chatterjee (O/277) | Do. | 28-2-78 | Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta. |
| 14. | B. M Gowalkar (O/283) | Do. | 31-5-78 | Controller of Defence Accounts Southern Command, Poona. |
| 15. | R. L. Sinnarkar (O/320) | Do. | 31-5-78 | Controller of Defence Accounts (Officers) Poona. |

The Controller General of Defence Accounts, regrets to notify the death of the undermentioned Accounts Officers. They have been struck off the strength of the department with effect from the date shown against their names:

| Sl. No. | Name with Roster No. | Grade | Date of death | Struck of Strength of the Department | Organisation |
|---|---|---|---|---|---|
| | S/Shri | | | | |
| 1. | U.S. Anand (P/294) | Permanent Accounts Officer | 20-2-78 | 21-2-78 (FN) | Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta. |
| 2. | S. K. Ray Chowdhury (P/355) | Do. | 24-2-78 | 25-2-78 (FN) | Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehra Dun |
| 3. | S. C. Datta (P/459) | Do. | 21-1-78 | 22-1-78 (FN) | Controller of Defence Accounts Western Command, Meerut. |
| 4. | G. C. Aggarwal (O/67) | Officiating Accounts Officer | 3-4-78 | 4-4-78 (FN) | Controller of Defence Accounts Patna |
| 5. | S. K. Ghosh (P/192/1977) | Permanent Accounts Officer | 25-12-77 | 26-12-77 (FN) | Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta. |
| 6. | G. L. Chopra, (P/645/1977) | Do. | 21-10-77 | 22-10-77 (FN) | Controller of Defence accounts Western Command, Meerut. |

3. Shri H. L. Arora, Permanent Accounts Officer (P/45) on voluntary retirement under provisions of F. R. 56 (K) with effect from 30-3-'78 (AN) has been granted 180 days terminal leave with effect from 31st March, 1978 to 26-9-1978 (AN) (both days inclusive)

4. Having been declared unfit to continue in service Shri H. K. Sharma, Officiating Accounts Officer (O/5) was retired from service and transferred to Pension Establishment with effect from 6-2-1978 (AN).

R. VENKATARATNAM,
Dy. Controller General of Defence Accounts (Pers)

## MINISTRY OF DEFENCE

### INDIAN ORDNANCE AND ORDNANCE EQUIPMENT FACTORIES

Calcutta, the 24th July 1978

No. 178/A/M.—On attaining the age of superannuation the following medical officers retired from Govt. services w.e.f. the date shown against each name :—

1. Dr. C. L. Maitra, Pmt. A.M.O., OFM—1-1-78.
2. Dr. S. D. Chadha Pmt. A.M.O., Of Dun—30-4-78.

BRIG. P. N. TRIKHA
D.H.S.
*for* Director General, Ordnance Factories

## MINISTRY OF INDUSTRY

### DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

### OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 27th July 1978

No. EST.I-2(551)/2448.—Shri M. S. Uke, Assistant Director Gr. II (P&D) in the Office of the Textile Commissioner, Bombay, has retired from service from the afternoon of 30th June 1978 on attaining the age of superannuation.

J. C. HANSDAK
Deputy Director (Admn.)

## DEPARTMENT OF SUPPLY

### DTE. GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(Admn. Section A-6)

New Delhi, the 25th July 1978

No. A-17011(120)/77-A6.—On the recommendation of the Union Public Service Commission the President has been pleased to appoint Shri Bolusani Sudhir on the post of Assistant Director of Inspection (Met.) Grade III of Metallurgical Branch of Indian Inspection Service (Group 'A') w.e.f. 31-1-78 until further orders.

Shri Sudhir assumed charge of the post of Asstt. Director of Inspection (Met.) in the office of DDI (Met.) Durgapur under the Director of Inspection (Met.) Burnpur from the forenoon of 31-1-78.

(Admn. Section A-1)

The 27th July 1978

No. A-1/1(810).—The President is pleased to appoint Shri P. N. Soni, Assistant Director (Grade I) (Grade III of Indian Supply Service, Group 'A') in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi to officiate on *ad-hoc* basis as Deputy Director of Supplies (Grade II of the Indian Supply Service, Group 'A') in the same Directorate General at New Delhi with effect from the forenoon of the 20th May, 1978 and until further orders.

SURYA PRAKASH
Deputy Director (Administration)
*for* Director General of Supplies & Disposals

## MINISTRY OF STEEL AND MINES

### (DEPARTMENT OF MINES)

### INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 28th July 1978

No. A.19012(89)/77-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri S. C. Nebhani, Asstt. Research Officer (O.D.) to the post of Assistant Ore Dressing Officer in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity w.e.f. the afternoon of the 11th July, 1978, until further orders.

The 29th July 1978

No. A.19012(102)/77-Estt.A.—The President is pleased to appoint Shri S. M. Shende, S.T.A. (O.D.) to the post of Assistant Ore Dressing Officer in the Indian Bureau of Mines in an officiating capacity w.e.f. the forenoon of 15th July, 1978, until further orders.

S. BALAGOPAL
Head of Office
Indian Bureau of Mines

## SURVEY OF INDIA

Dehra Dun-248001 the 24th July 1978

No. C-5395/707—I. The date of promotion of Shri M. M. Jain (Sl. 42) as notified vide this office Notification No. C-5837/707 dated the 5th July 1978 is amended to read 23rd March 1978 (FN) instead of 23rd April 1978 (FN).

II. The undermentioned officers are appointed to officiate as Officer Surveyor (Group 'B' post), Survey of India in the scale of pay Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the date as shown against each, purely on adhoc provisional basis :—

| Sl. No. | Name and Designation | Unit/Office | With effect from |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri K. N. Muthanna, Survey Asstt. Sel. Gd. | No. 36 Party (STI) Hyderabad | Ist March 1978 (FN). |
| 2. | Shri Prem Chand Sharma, Draftman Div. I Sel. Gd. | No. 6 D.O. (N.C) Dehra Dun | 28th February 1978 (FN) |
| 3. | Shri K. Ananthanarayan, Surveyor Sel. Gd. | No. 16 Party (STI) Hyderabad | Ist March 1978 (FN). |
| 4. | Shri J. K. Deb, Draftsman Div. I Sel. Gd. | No. 6 D. O. (NC) Dehra Dun | 28th February 1978 (FN) |
| 5. | Shri K. N. G. K. Pillai, Surveyor Sel. Gd. | No. 16 Party (PMP) Hyderabad | Ist March 1978 (FN) |
| 6. | Shri M. K. Chengappa Surveyor Sel. Gd. | No. 47 Party (STI) Hyderabad | 23rd March 1978 (FN). |
| 7. | Shri S. S. Pradhan Surveyor Sel. Gd. | No. 12 Party (NEC) Shillong | 30th March 1978 (FN). |
| 8. | Shri B.S. Rajput, Surveyor Sel. Gd. | No. 22 (Photo) Party (NEC), Dehra Dun. | 10th March 1978 (FN) |
| 9. | Shri K. K. Sharma, Surveyor Sel. Gd. | No. 22 (Photo) Party (NEC), Dehra Dun. | 19th May, 1978 (FN) |
| 10. | Shri K. S. Hooda, Surveyor Sel. Gd. | No. 22 (Photo) Party (NEC), Dehra Dun | 28th February, 1978 (FN). |
| 11. | Shri R. L. Gangwal, Surveyor Sel. Gd. | No. 81 Party (NEC), Shillong. | 3rd March 1978 (FN). |
| 12. | Shri Malook Singh, Surveyor Sel. Gd. | No. 9 Party (NEC), Shillong. | 30th March 1978 (FN). |
| 13. | Shri T. N. Sharma, Surveyor Sel. Gd. | No. 47 Party (STI) Hyderabad | Ist March 1978 (FN) |
| 14. | Shri P.G.P. Panikkar, Surveyor Sel. Gd. | No. 53 Party (PMP) Hyderabad | Ist March 1978 (FN) |
| 15. | Shri L.S. Sharma, Surveyor, Sel. Gd. | No. 80 (Photo) Party (NEC), Shillong. | 30th March 1978 (FN). |
| 16. | Shri N. M. Patel, Surveyor Sel. Gd. | No. 36 Party (STI) Hyderabad | Ist March 1978 (FN) |
| 17. | Shri S. K. D. Chowdhury, Survey Asstt. Sel. Gd. | No. 29 Party (NEC) Shillong. | 25th February 1978 (FN). |
| 18. | Shri Jagdish Kumar, Surveyor Sel. Gd. | No. 59 Party (SCC), Hyderabad. | 20th March 1978 (FN) |
| 19. | Shri A.G. Joshi, Surveyor Sel. Gd. | No. 50 Party (PMP), Hyderabad | Ist March 1978 (FN) |
| 20. | Shri T.R. Kothiyal, Survey Asstt. Sel. Gd. | No. 6 D. O. (NC), Dehra Dun. | 30th March 1978 (FN) |
| 21. | Shri G. M. Roy, Survey Asstt. Sel. Gd. | No. 80 (Photo) Party (NEC) Shillong. | 3rd March 1978 (FN) |
| 22. | Shri B.K. Sahni, Surveyor Sel. Gd. | Survey Training Institute, Hyderabad. | 15th May 1978 (FN) |

K. L. KHOSLA
Major General
Surveyor General of India
(Appointing Authority)

## DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 28th July 1978

No. 4(28)/75-SI.—Consequent on his selection to the Indian Administrative Service, Shri K. Ramamoorthy, Officiating Programme Executive, External Services Division, All India Radio, New Delhi relinquished charge of his post in All India Radio w.e.f. 11-7-1978 (A.N.) and would be deemed to have resigned from the post of Programme Executive in All India Radio from that date.

A. K. BOSE
Deputy Director of Administration
*for* Director General

---

## (CIVIL CONSTRUCTION WING)

New Delhi, the 16th June 1978

No. A-35018/2/78-CW.I.—The Director General, All India Radio, New Delhi is pleased to appoint Shri S. Ramachandran, Junior Engineer (Electrical) of the Central Public Works Department as Assistant Engineer (Electrical) on deputation in the Civil Construction Wing, All India Radio, Bombay in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the forenoon of April 26, 1978 for a period of one year in the first instance.

2. The pay and allowances of Shri Ramachandran will be regulated in accordance with the Ministry of Finance O.M. No. 10/24/E.III/60 dated the 4th May, 1961 as amended from time to time.

The 19th June 1978

No. A-35017/1/75-CW.I.—The Director General, All India Radio, New Delhi is pleased to appoint Shri C. N. Bhagat, Chief Draftsman of Army Headquarters, New Delhi as an Assistant Architect on deputation in the Civil Construction Wing of All India Radio, New Delhi in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the forenoon of 9th June, 1978 for a period of one year in the first instance.

2. The pay and allowances of Shri Bhagat will be regulated in accordance with the Ministry of Finance O.M. No. 10/24/E. III/60, dated the 4th May, 1961 as amended from time to time.

BACHAN SINGH
Engineer Officer to Addl. CE(C)
*for* Director General.

---

## DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 26th July 1978

No. A.12026/7/77(NTI)Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri R. Palaniswamy to the post of Junior Bacteriologist at the National Tuberculosis Institute, Bangalore, with effect from the forenoon of 11th July, 1978 on an ad-hoc basis and until further orders.

No. A12026/15/77-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri Vivek Chander Sharma to the post of Hindi Officer at the Safdarjang Hospital, New Delhi, with effect from the forenoon of the 22nd June, 1978, on an ad hoc basis and until further orders.

No. A.12026/15/77-Admn.I.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri D. Krishna Panicker to the post of Hindi Officer at the All India Institute of Physical Medicine & Rehabilitation, Bombay, with effect from the forenoon of the 11th July, 1978, on an ad hoc basis, and until further orders.

S. L. KUTHIALA
Deputy Director Administration (O&M)

## INDIAN POSTS AND TELEGRAPHS DEPARTMENT

### OFFICE OF THE GENERAL MANAGER

### MADRAS TELEPHONES

Madras-600 001, the 26th July 1978

No. AST/AO-5/VIII- The General Manager, Madras Telephones, is pleased to appoint the undermentioned Junior Accounts Officers to officiate as Accounts Officers, in Accounts Finance Service—Group 'B' in local arrangement for period mentioned against each

| Sl No. | Name | Period From | Period No. |
|---|---|---|---|
| 1. | Sri S. R. Doraiswamy | 13-12-77 FN | 30-3-78 AN |
| 2. | Sri R. Seetharaman | 2-05-78 FN | 1-7-78 FN |

No. AST/AL-5/IV—The undermentioned Junior Engineers who are officiating as Assistant Engineers in local arrangement in Madras Telephone District, stand reverted to their parent cadre with effect from the dates mentioned against each.

| Sl. No. | Name | Date of reversion to parent cadre |
|---|---|---|
| 1. | Sri K. G. Sundaresan | 1-2-78 FN |
| 2. | Sri R. Sampath | 20-2-78 FN |
| 3. | Sri B. S. Ramaswamy | 10-3-78 AN |
| 4. | Sri B. S. Nagarajan | 21-1-78 FN |

No. AST/DE-5/—The General Manager, Madras Telephone District, is pleased to appoint the undermentioned Assistant Engineers to officiate as Divisional Engineers in local arrangement in Madras Telephone District with effect from the date mentioned against each.

| Sl. No. | Name | Date of promotion to DE's Grade in local arrangement. |
|---|---|---|
| 1. | Shri R. Vaidyanathan | 8-2-78 FN |
| 2. | Shri P. Arthur Jesudoss | 1-5-78 FN |
| 3. | Shri T. N. Janardhanan | 20-5-78 FN |
| 4. | Shri S. Sundaram | 23-5-78 FN |
| 5. | Shri K. Srinivasan | 5-6-78 FN |

K. RAJAGOPALAN
Asstt. General Manager (Admn.)
*For* General Manager

---

## MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

### (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

### DIRECTORATE OF MARKETING AND INSPECTION

Faridabad, the 29th July 1978

No. A.19025/96/78-A.III.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, Shri M. V. S. Narayanamurthy has been appointed to officiate as Assistant Marketing

Officer (Group I) in this Directorate at Guntur with effect from the 12th July, 1978 (F.N.), until further orders.

B. L. MANIHAR
Director of Administration,
*for* Agricultural Marketing Adviser

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

### DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 29th July 1978

No. DPS/2/1(1)/77/Adm./19801.—In continuation of this Directorate Notification of even number dated May 10, 1978, Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints Shri Wazirchand Chief Storekeeper of this Directorate to officiate as Assistant Stores Officer on an ad hoc basis in the same Directorate for a further period upto September 30, 1978 or until further orders whichever is earlier.

B. G. KULKARNI
Assistant Personnel Officer

Bombay-400 001, the 29th July 1978

No. DPS/40/1/77-Adm./19866.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy appoints the following temporary Assistant Accountants to officiate as Assistant Accounts Officers in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-880-EB-40-960 in the same Directorate with effect from the forenoon of July 15, 1978 until further orders.

1. Shri A. Mascarenhas
2. Shri P. B. Mohammed.

K. P. JOSEPH
Administrative Officer

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

### (ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500016, the 27th July 1978

No. AMD/1/8/78-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Dr. P. Narasimha Murty as Assistant Surgeon in the Atomic Minerals Division in an officiating capacity with effect from the forenoon of 17 July, 1978 until further orders.

S. RANGANATHAN
Sr. Administrative & Accounts Officer.

## DEPARTMENT OF SPACE

### CIVIL ENGINEERING DIVISION

Bangalore-560025, the July 1978

No. 10/3(39)/78-CED(H).—Chief Engineer, Civil Engineering Division, Department of Space is pleased to appoint Shri K Shanmugam, an Assistant Engineer of the Public Works Department, Tamil Nadu, on deputation as Engineer SB in Civil Engineering Division, Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of July 7, 1978 and until further orders.

The 20th July 1978

No 10/5(33)/77-CED(H).—Chief Engineer, Civil Engineering Division, Department of Space is pleased to appoint Shri MLP Thiagarajan, Supervisor as Engineer SB in the same Division in an officiating capacity with effect from 1st July 1976 and until further orders.

The 27th July 1978

No. 10/2(8)/78-CED(H).—Chief Engineer, Civil Engineering Division, Department of Space is pleased to appoint Shri PS Sundar Raj, an Assistant Engineer of the Public Works Department, Tamil Nadu, on deputation as Engineer SB in Civil Engineering Division, Department of Space, Sriharikota in an officiating capacity with effect from the forenoon of July 7, 1978 and until further orders.

P. I. U. NAMBIAR
Administrative Officer II
*for* Chief Engineer

## INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION

### SPACE APPLICATIONS CENTRE

Ahmedabad-380053, the 21st July 1978

No. SAC/EST/TESC/42/78.—The Director is pleased to appoint Shri Ashok Apsingikar as Engineer SB in a temporary capacity in the Space Applications Centre of Indian Space Research Organisation, Department of Space with effect from the forenoon of 13th February, 1978 until further orders.

The 24th July 1978

No. SAC/EST/TESC/46.—The Director is pleased to appoint Shri Niketankumar Vinodchandra Shah as Engineer SB in a temporary capacity in the Space Applications Centre of Indian Space Research Organisation, Department of Space with effect from the forenoon of 10th April, 1978 for a period up to 31st August, 1979.

S. G. NAIR
Head, Personnel & General Admn.

## MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

### INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 26th July 1978

No. A.32014/3/78-E.I. The Director General of Observatories hereby appoints the undermentioned Professional Assistants as Assistant Meteorologists in an officiating capacity with effect from the dates indicated against their names and until further orders :—

| S. No. Name | Date from which appointed as Assistant Meteorologist. | Office of posting |
|---|---|---|
| (1) (2) | (3) | (4) |
| 1. Shri B.C. Sen | 5-6-78 | Meteorological Centre, Gauhati, under Director, Regional Meteorological Centre, Calcutta. |
| 2. Shri A. K. Hansda | 31-5-78 | Meteorological Office Mohanbari under Director, Regional Meteorological Centre, Calcutta. |

New Delhi-3, the 27th July 1978

No. F(1)04214.—On attaining the age of superannuation Shri M. C. Chacko, Officiating Assistant Meteorologist, Meteorological Centre, Trivandrum under the Director, Regional Meteorological Centre, Madras, Indian Meteorological Department, retired from the Govt. service with effect from the afternoon of 30th June, 1978.

No E(1)04262.—On attaining the age of superannuation Shri B. B. Roy, Officiating Assistant Meteorologist Meteorological Centre, Gauhati under the Director, Regional Meteorological Centre, Calcutta, India Meteorological Department, retired from the Govt. service with effect from the afternoon of 31st May, 1978.

*CORRIGENDUM*

No. A32014/3/78-E.I.—In the notification of even number dated 3rd June, 1978, the entry in column 3 against S. N. 3 may be read as 19-4-1978 instead of 18-4-78.

The 1st August 1978

No. E(1)06413.—The Director General of Observatories hereby appoints Shri A. K. Sen, Professional Assistant, Office of the Dy. Director General of Observatories (Climatology), Pune as Assistant Meteorologist in the Indian Meteorological Service, Group B (Central Civil Service, Group B) in an officiating capacity with effect from the forenoon of 3rd July, 1978 and until further orders.

Shri Sen is posted to the Office of the Dy. Director General of Observatories (Forecasting), Pune.

G. R. GUPTA
Meteorologist
*for* Director General of Observatories

## OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 31st July 1978

No. A.31016/2/78-ES.—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint Shri K. P. Chakarborty in a substantive capacity in the grade of Administrative Officer in the Civil Aviation Department with effect from 20-7-78.

S. L. KHANDPUR
Asstt. Director of Administration
*for* Director General of Civil Aviation

## COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS

No. 4/78—The following Inspectors of Central Excise (S.G.) are appointed to officiate until further orders as Superintendent, Group 'B' in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200. They have assumed charge as Superintendents in the places and on the date noted against each :-

| Sl. No. | Name of the officer | Place of posting | Date of assumption of charge |
|---|---|---|---|
| | S/Shri | | |
| 1. | V. P. Namasivayam | Hqrs. Office, Madurai | 12-5-78 |
| 2. | M. N. Srinivasan | Customs Division Madurai | 12-5-78 |
| 3. | K. Gopalakrishnan | Hqrs. Office, Madurai | 16-6-78 |
| 4. | S. Mohammed Nisar | Trichy Airport | 16-5-78 |
| 5. | Syed Yusuff Hussain | Dalmiapuram MOR, Trichy | 10-7-78 |
| 6. | M.R. Alagirisamy | Sivakasi MOR. I | 5-6-78 |
| 7. | S. Vincent | Customs Preventive, Tuticorin | 17-6-78 |
| 8. | P.A. Monie | Customs Preventive, Thiruthurai Poondi of Nagapattinam Divn. | 10-7-78 |
| 9. | A.G. Joseph | Sivakasi MOR. II | 10-7-78 |

No. 5/78—Shr V. Natarajan, Office Superintendent of Central Excise Collectorate, Madras is appointed to officiate until further orders as Administrative Officer (Group 'B') in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1200. He assumed charge as Administrative Officer on the forenoon of 27-4-78 in Nagapattinam Customs Divisional Office.

M. S. SUBRAMANAYAM
Collector

## CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi, the 29th July 1978

No. A-19012/629/76-Adm.V.—In continuation of Notification No. A-19012/629/76-Adm. V dated the 31st December, 1977, Chairman Central Water Commission, hereby extends the *ad-hoc* appointment of Shri S. R. Sharma to the post of Extra Assistant Director (Publication in the Central Water Commission in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35 880-40-1000-EB-40-1200 on a purely temporary basis for a further period from 14-6-1978 to 29-8-1978 or till the post of Assistant Director (Publication) is filled on regular basis, whichever is earlier.

J. K. SAHA
Under Secretary,
Central Water Commission

## DIRECTORATE GENERAL OF WORKS

## CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 27th July 1978

No. 33/1/77-ECIX (pt. IV).—The Director General of Works, CPWD is pleased to appoint Kumari Binita Deb Chaudhury a nominee of the U.P.S.C. against the temporary post of Assistant Architect (C.G.S. Group B) in the CPWD on a pay of Rs. 650/- P.M. in the scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 (plus usual allowances) with effect from 29-4-78 (FN) on the usual terms and conditions.

2. Kumari Chaudhury is placed on probation for a period of two years with effect from 29-4-78 (FN).

KRISHNA KANT
Dy. Director of Administration

## MINISTRY OF RAILWAYS

## (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 28th July 1978

No. 78/RE/161/1.—It is hereby notified for the general information of all users of Railway lines and premises that A.C. Over-head traction wires will be energised on 2.2 Kv on or after 15-6-78 in the following sections in stages where the works are in progress :—

Chirala to Vijayawada :—

Structure Nos. KM. 341/31/32 to 429/37-38

AND

KM. 583/23-24 to 581/1 of Vijayawada Yard.

On and from the same date, the overhead traction line shall be treated as live at all time and no unauthorised persons shall approach or work in the proximity of it.

P. N. MOHILE
Secy., Railway Board.

## CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS

Chittaranjan, the 29th July 1978

No. GMA/GS/8(A/cs).—Sri B. M. Das, Offg. Senior Accounts Officer (FX)/CLW is confirmed as Asstt. Accounts Officer in Cl. II service in the cadre of the Accounts Department of this Administration with effect from 26-4-78 (F.N.).

K. RAMAN
General Manager

## MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

## (DEPTT. OF COMPANY AFFAIRS)

## COMPANY LAW BOARD

## OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Supreme Chit Fund & Trade Pvt. Ltd. (In Liqn.)*

New Delhi-110001, the 25th July 1978

No. Liqn./3378/13412.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s Supreme Chit Fund & Trade Pvt Ltd.

(In Liqn.) has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

P. S. MATHUR
Asstt. Registrar of Companies,
Delhi & Haryana.

---

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Raja and Ebenzer Private Ltd.*

Madras-6, the 25th July 1978

No. DN/5761/560(3)/78.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s Raja and Ebenzer Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

K. PANCHAPAKESAN
Asstt. Registrar of Companies

---

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of Indian Commerce and Industries Private Limited*

Calcutta, the 29th July 1978

No. 8814/560(5).—Notice in hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the Indian Commerce and Industries Private limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

---

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Chatterjee & Chakravarti (Paper) Limited.*

Calcutta, the 29th July 1978

No. 9588/560(5).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the Chatterjee & Chakravarti (Paper) Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

---

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of P. N. M. Construction Private Limited.*

Calcutta, the 29th July 1978

No. 22022/560(5).—Notice in hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, the name of the P. N. M. Construction Private limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

S. C. NATH
Asstt. Registrar of Companies,
West Bengal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, Shillong

Shillong, the 17th June 1978

Ref. No. A-187/SHI/78-79/2006-08.—Whereas, I, EGBERT SINGH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Patta No. 129, Holding No. 44 situated at Quinton Road, Shillong
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Shillong on 18-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bandana Roy Choudhury W/o. Late Manadhir Roy Choudhury Quinton Road, Shillong,
Present Address—
C/o Shri Shivendu Bhattacharjee New Colony, Opp. High School, Shillong.
(Transferor)

(2) Sri Modon Gopal Poddar S/o Late N. C. Poddar, Police Bazar, Shillong.
(Transferee)

(3) Prafulla Purkayastha, Quinton Road, Shillong
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2795 Sq. Ft. along with 4 (four) houses situated at Quinton Road, Shillong, Meghalaya.

EGBERT SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Shillong

Date : 17-6-1978
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, DHARWAR-4

Dharwar-4, the 16th June 1978

Notice No. 216/78.79/Acq —Whereas, I, D. C. RAJAGOPALAN,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
173/6, 173/10 and 174/1 situated at Guirim Wado,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Salcete, District of Goa, Under Document No. 1508/77-78 on 29-11-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely :—

(1) Dr. Luis Dos Santos Alvares and Wife Maria Ana Clara Ceicilia Carolina de Santana Godinho Alvares, resident of Margao.

(Transferor)

(1)(1) Shri Jagannath Dattaram Narvenkar,
(2) (1) Shri Jaganath Dattaram Narvenkar,
(3) Shri Guruddas Dharma Borkar, R/o Margao (Goa).

(Transferees)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property situated at Guirim Wado, consists of 8 Houses and one Church and Coconut plantation, admeasuring area is 19,500 Sq. Metres, Bearing S. Nos. 173/6, 173/10 and 174/1.

D. C RAJAGOPALAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Dharwar.

Date : 16-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 30th May 1978

Ref. No. GSP/16/78-79.—Whereas, I, S. K. GOYAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land situated at G. T. Road and Duragah Road
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurdaspur in Nov., 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Ved Vyas and Lal Chand s/o Sh. Hem Raj R/o Dina Nagar.
(Transferor)

(2) Sh. Dev Raj S/o Sh. Yudishter and Smt. Kanta Kumari w/o Sh. Raj Kumar of Jullundur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2 K 10M as mentioned in the regd. deed No. 4629 of Nov., 1977 of Registering Authority, Gurdaspur.

S. K. GOYAL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 30-5-1978
Seal :

**FORM ITNS ———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (3 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 29th June 1978

Ref. No. 1374/24/78-79.—Whereas, I S. K. GOYAL, I.R.S. being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
H. No. B-XXI-149 situated at Mohallah Sekhrian Batala
(and more fully described in the Schedul annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Batala in November, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or**

**(b) facilitating the concealment of any income or any mmoneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Smt. Kamla Rani wd/o Dr. Gujjar Mal, Sekhri, Mohallah, Sekhrian, Batala

(Transferor)

(2) Sh. Baldev Krishan, Om Parkash and Lakshmi Narayan ss/o Sh. Siri Krishan r/o Batala.

(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

**(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;**

**(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.**

EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.**

THE SCHEDULE

H. No. BXXi-149, Mohallah Sekhrian Batala as mentioned in the regd. deed No. 4298 of Nov. 1977 of Registering Authority, Batala.

S. K. GOYAL IRS,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 29-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 11th July 1978

No. 38 situated at Majitha Road Amritsar, Gopal Nagar IRS. IAC. Acq.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 38 situated at Majitha Road Amritsar, Gopal Nagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at City Amritsar November, 1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Durga Devi w/o Shri Sulakhan Singh, Amritsar 76-C, Lowrence Road, Amritsar.
(Transferee)

(2) Shri Gulshan Kumar, Pardeep Kumar, Inderjit SS/O Sh. Piara Lal, R/o Bazar Mori Ganj, Amritsar.
(Transferor)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s), if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

38-Majitha Road, Gopal Nagar, Amritsar as mentioned in the registered deed No. 2501 of Nov. 1977 of Registering Authority, Amritsar City.

S. K. GOYAL, IRS.,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 11-7-78
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 11th July 1978

Ref. No. ASR/26/78-79.—Whereas, I, S. K. GOYAL, IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
H. No. 2414, 2424/12, situated at 34/511-1 on black place No.
36/511, Kalyan Singh Road, Amritsar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Amritsar City, on November, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Pala Ram s/o Shri Ram Bhaj r/o Inside Hathi Gate, Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Daljit Singh, Harjit Singh, Gurjit Singh ss/o Shri Pritam Singh r/o 154-Kt. Moti Ram, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the regd. ded No. 2557 of Nov., 1977 of Registring Authority. Amritsar City.

S. K. GOYAL, IRS.,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, AMRITSAR

Date : 11-7-78

Seal :

FORM ITNS———

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE, BHAWKAR BHAWAN
PLOT NO. 31, GANESH KHIND
ROAD, POONA-411005

Poona, the 19th June 1978

Ref. No. CA5/Wai/Feb/78/360/78-79.—Whereas, I, Smt. P. LALWANI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'),
have reason to believe that the immovable property,
having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
F. No. 470 T.P. Scheme No. III situated at Panchagani, Tal. Wai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Wai on 10-2-1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act', in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act,' or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Dara Rashid Khambata, 4, Bund Garden Road, Poona-1.

(Transferor)

(2)(1) Shri Meherjad K. Akhatar Khavari,
(2) Smt. Tarabai Gangaram Kamble,
(3) Shri Satish Nanalal Dharia,
(4) Shri Abdulla Abbasbhai Uniwala.
At Panchgani, Tal. Wai.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehold land & building situated at Final plot No. 470, T. P. Scheme No. III, Village Panchgani, Tal. Wai.
Area : O H—59 G.
(Property as described in the sale deed registered under No. 110 dated 10-2-1978 in the office of the Sub-Registrar, (Wai).

SMT. P. LALWANI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona.

Date : 19-6-1978
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHAWKAR BHAWAN
PLOT NO. 31, GANESH KHIND
ROAD, POONA-411005

Poona, the 19th June 1978

Ref. No. CA5/Wai/Feb'78/361/78-79.—Whereas, I, Smt. P. LALWANI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
F.P. No. 473, T.P.S. Scheme III situated at Panchgani, Tal. Wai
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Wai on 10-2-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) Shri Dara Rashid Khambata, 4, Bund Garden, Poona-1.

(Transferor)

(2) (1) Shri Amin R. Mehershahi,
(2) Shri Gangaram Pandurang Kamble,
(3) Smt. Ashalata Nanalal Dharia,
(4) Smt. Amina Abdulla Uniwalla,
All at, Panchgaon, Tal. Wai.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Freehold land and building at Final plot No. 473, T. P. Scheme No. III, Panchgani, Tal. Wai, Dist. Satara.

Area : H O—60 acres.

(Property as described in the sale deed registered under No. 111 dated 10-2-1978 in the office of the Sub-Registrar, Wai).

SMT. P. LALWANI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Poona

Date :19-6-1978.

Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

**OF INCOME TAX,**

ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDING, M. G. ROAD, ERNAKULAM, COCHIN-682016

Cochin, the 22nd June 1978

Ref. No. L.C.93/78-79.—Whereas, I, P. O. GEORGE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at Ernakulam Village
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ernakulam on 21-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) R. Narayana Iyer.
(2) Smt. Chellammal.

(Transferors)

(2) (1) Mathew M. Thomas
(2) Thomas John.
(3) Thomas George
(4) Thomas Muthoott
(5) George Alexander.

(Transferees)

(3) Associated Engineering Corporation (P) Ltd.
(Persons in occupation of the property)

(4) Cochin Corporation.
(Persons to whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and buildings bearing C. C. Nos. XXXVIII/971-972 and 1003 of Ernakulam Village vide Schedule to document No. 2991/1977.

P. O. GEORGE,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 22-6-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDING, M. G. ROAD, ERNAKULAM, COCHIN-682016

Cochin, the 22nd June 1978

Ref. No. L.C.200/78-79.—Whereas, I, P. O. GEORGE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing No.
as per chedule situated at Panniankara
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chalapuram on 9-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such appartent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (1) A. M. Pakker Koya
(2) A. M. Ahmed Koya
(3) A. M. Mamu Koya
(4) A. M. Moideen Koya.

(Transferor)

(2) V. Pari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

4.59 acres of Coconut garden in Sy Nos. 65/3, 62/1, 60/4 56/1A, 2 in Panniankara amsom desom in Calicut.

P. O. GEORGE,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 22-6-1978
Seal :

**FORM ITNS——**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDING, M. G. ROAD, ERNAKULAM, COCHIN-682016

Cochin, the 11th July 1978

Ref. No. L.C.209/78-79.—Whereas, I, P. O. GEORGE, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Sy. No.
as per schedule situated at Kasaba Village
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Kozhikode on 14-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the 'said Act' in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act', I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act' to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kunjulakshmi Amma, W/o Sri A. V. Menon.
(Transferor)

(2) (1) Poovath Ibrahim,
(2) V. Kunjabdulla (3) Kuttipurathkandy—Abdul Rahiman and
(4) Dr. K. K. Kader.
(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act,' shall have the same meaning as given in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

3/4th right over 17 cents of land in R. Sy. No. 19.3.64/1 and two buildings as per schedule to document No. 613/77 of SRO, Kozhikode.

P. O. GEORGE,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 11-7-1978
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, MAREENA BUILDING, M. G. ROAD, ERNAKULAM, COCHIN-682016

Cochin, the 12th July 1978

Ref. No. L.C.205/78-79.—Whereas, I, P. O. GEORGE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at Thalamunda Amsom
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Edappal 15-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth- tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) I. Krishan Namboodiri and 11 others
(Transferor)

(2) II. Abdulkhader.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

2.24 acres of land with buildings in Sy. No. 265/4 in Thalamunda Amsom vide document No. 2938/77 dated 15-11-1977.

P. O. GEORGE,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Ernakulam

Date : 12-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 13th July 1978

Ref No. 40-V/Acq.—Whereas, I, AMAR SINGH BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
As per schedule situated at
Plot No. 3 situated at Nawel Kishore Road, Lucknow
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Lucknow on 15-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Azad Ahmad Khan

(Transferor)

(2) (1) Raj Bahadur Mehta
(2) Vijay Krishan Mehta
(3) Ashok Mehta
(4) Smt. Chitra Mehta
(5) Smt. Radha Mehta
(6) Smt. Neera Mehta

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land bearing No. 3 measuring 8,715 sqr. fts. situate at Nawel Kishore Road, Lucknow.

AMAR SINGH BISEN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 13-7-1978

Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, BIHAR BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 13th June 1978

Ref. No. III-270/Acq/78-79/234.—Whereas, I, M. N. TIWARY,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Town Plan Plot No. 1244 & 1231 within the Municipal Ward No. VIII situated at Deoghar, District Santhal Parganas in Bihar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Calcutta on 17-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the appearent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect or any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Kishni Devi Sureka, 172 J. N. Mukherjee Road, Salkia, Howrah.
(Transferor)

(2) Thakur Das Sureka, Charity Trust Fund, 172, J. N. Mukherjee Road, Salkai, Howrah.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(1) 17 Kathas & 4 Dhurs of land with two pucca buildings and other structures thereon falling in Town Plan Plot No. 1244, Holding No. 148 and

(2) 1 Bigha 1 Katha & 14 Dhurs land together with brick built structures in Town Plan Plot No. 1231—Both properties situated in Ward—VIII of Deoghar Municipality.

M. N. TIWARY,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date : 13-6-1978

Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3RD FLOOR
SARAF CHEMBER, SADAR, NAGPUR

Nagpur, the 20th April 1978

Ref. No. IAC/ACQ/66/78-79.—Whereas, I, H. C. SHRIVASTAVA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House No. 62, Ward No. 65, Cir. No. 23, Total area 1203 Sq. Mtrs. Kamptee Road, Nagpur, situated at Nagpur, and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nagpur on 2-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri L. C. D. R. Enile Joshi,
247, St. Antony Road, Chembur,
Bombay-71.

(Transferor)

(2) Fr. Assuncao D'souza, Chairman,
Pilor Niketan Society, Near
Bharat Talkies, Kamptee Road,
Nagpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 62, Ward No. 65, Cir. No. 23, Total area 1203 Sqr. Mtrs., Kamptee Road, Nagpur.

H. C. SHRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Nagpur

Date : 20-4-1978

Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3RD FLOOR
SARAF CHEMBER, SADAR, NAGPUR

Nagpur, the 22nd April 1978

Ref. No. IAC/ACQ/67-78-79.—Whereas, I, H. C. SHRIVASTAVA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot No. 14, Ward No. 13, Municipal plot No. 643-A/232 Dharmpeth Layout North Ambazari Road, Nagpur situated at Nagpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Nagpur on 16-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; *and/or

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) P. R. Vijayalakshmi,
14, North Ambazari Road,
Nagpur.
(Transferor)

(2) Shri P. V. Swaminathan,
Vijay Niwas, Ramdaspeth,
Nagpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 14, Ward No. 13, Municipal plot No 643-A 232, Dharmpeth Layout, North Ambazari Road, Nagpur

H. C. SHRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Nagpur

Date : 22-4-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3RD FLOOR
SARAF CHEMBER, SADAR, NAGPUR

Nagpur, the 19th June 1978

No. IAC/ACO/71/78-79.—Whereas, I, H. C. SHRINIVASA,

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Half Portion of Plot No. 285 & double storyed House thereon in Ward No. 23, Satnaminagar, Nagpur situated at Nagpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Nagpur on 17-11-77

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid propery and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Shakuntala Rani
w/o Shri Omprakash Gupta,
Ward No. 23,
Nagpur.

(Transferor)

(2) 1. Shri Khushalchand Mangalchand Ranka,
2. Shri Prakashchand Mangalchand Ranka,
both r/o Gandhibagh,
Nagpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of Plot No. 285 & double storyed House thereon in Ward No. 23, Satnaminagar, Nagpur.

H. C. SHRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Nagpur

Date : 19-6-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3RD FLOOR
SARAF CHEMBER, SADAR, NAGPUR

Nagpur, the 19th June 1978

Ref. No. IAC/ACQ/72/78-79.—Whereas, I, H. C. SHRINIVASA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Half Portion of Plot No. 285 & double storyed House thereon in Ward No. 23 Nagpur situated at Nagpur,
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nagpur on November 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Mrs. Shakuntala Rani
w/o Shri Omprakash Gupta,
Ward No. 23,
Nagpur.

(Transferor)

(2) 1. Mrs. Nilam Devi
w/o Shri Gulabchand Ranka,
2. Sri Kasturchand Mangalchand Ranka,
both r/o Gandhibagh,
Nagpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of Plot No. 285 & double storyed House thereon in Ward No. 23, Nagpur.

H. C. SHRIVASTAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Nagpur

Date : 19-6-1978

Seal :

**FORM ITNS————**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Madras-6, the 20th May 1978

Ref. No. 14/NOV/77.—Whereas, I, A. T. GOVINDAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
land 8.19 acres with building in T.S. Nos. 71, 72, 73/1, 77/2, 1877 and 1878/2 Natham Road, Dindigul
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Sub Registrar's office, Nagalnaicken Patti (Doc. No. 1306/77) on November 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :

(1) Madura Coats Limited,
New Jail Road,
Madurai-625010.
(Transferor)

(2) Meenatchi Estate,
11/A Kesava Iyer Street,
Park Town, Madras-600003.
(Transferee)

(3) Owner.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 8.19 acres with building thereon in T.S. Nos. 71 (3.22 acres) 72 (0.13 acre) 73/1 (1.30 acres); 77/2 (0.05 acre); 1877 (0.36 acre); 1878/2 (3.13 acres), Natham Road, Dindigul.

A. T. GOVINDAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 20-5-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I,
MADRAS-6

Madras-6, the 14th June 1978

Ref. No. 25/NOV./77.—Whereas, I, A. T. GOVINDAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
34, 35 and 36 situated at Rattan Bazaar, Madras-1
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSRO I, Madras North (Doc. No. 3236/77) on 15-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) S. M. A. Syed Mohamed Buhari,
S/o late S. M. A. Md. Meera Sahib,
South Street, Keelakarai,
Ramnad Dist.
(Transferor)

(2) Mrs. Sithi Hamza Beevi
W/o Sultan Maraikar; and
2. Mr. Esmail
S/o Noor Sahib,
6/9 and 10, Middle Street,
Keelakarai, Ramnad District.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and buildings at Door Nos. 34, 35 and 36, Rattan Bazaar, Madras-1.

A. T. GOVINDAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Madras-6.

Date : 14-6-1978
Seal :

FORM ITNS—— —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 4th May 1978

Ref. No. Acq/1373-A/M.Nagar/77-78/560.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffarnagar on 3-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Inocome-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely: —

(1) Shri Om Prakash adopted son of Meerilal Vaish r/o 24-A, Nai Mandi, Muzaffarnagar.

(Transferor)

(2) S/Shri Jagbir Singh, Mahender Singh, Raj Kumar, and Rajveer Singh sons of Randhir Singh, Shri Kalu Ram S/o Khajan Singh, S/Shri Harveer Singh and Ram Kumar Sons of Kaluram, All residents of Village Harsauli, P.O. Khas, Parg. Baghra, Teh. and Distt. Muzaffarnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid person with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of Ahata measuring 1859 sq. yds. situated at South Bhopa Road, Teh. & Distt. Muzaffarnagar transferred for an apparent consideration of Rs. 66,000/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 4-5-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 30th May 1978

Ref. No. Acq/1561-A/DDN/77-78/1045.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dehradun on 14-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Tilak Raj Kapoor,
Moh. Lala Lajpat Rai, Durgiana Abadi,
Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Rakesh Chander Mehra,
18-B Race Course Road,
Amritsar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of land and building known as Cannaught Castle Hotel, Mussorie, transferred for an apparent consideration of Rs. 1,51,00/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 30-5-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd June 1978

Ref. No. ACQ/1433-A/M.NGR/77-78/1106.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Muzaffarnagar on 7-11-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of ths notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Om Prakash,
Adopted son of Meerimal,
24-B, Nai Mandi, Muzaffarnagar.

(Transferor)

(2) Smt. Gayatri Devi,
W/o Shri Gyani Ram,
Nai Mandi, Muzaffarnagar

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 5350 sq. yds. situated at Village Kukra, Distt. Muzaffarnagar, transferred for an apparent consideration of Rs. 80,000/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 3-6-1978.
Seal :

**FORM ITNS**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 6th June 1978

Ref. No. Acq/1463-A/M.Nagar/77-78/1567.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Muzaffarnagar on 14-11-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Surendrapal Singh s/o Prakash, R/o Village Datiana, P.O. Khas, Distt. Muzaffarnagar.

(Transferor)

(2) Smt. Saila Devi W/o Surendrapal Singh, Smt. Suresh Bala W/o Krishan Pal Singh, R/o Village Datiana, P.O. Khas, Distt. Muzaffarnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 6 bighas and 7 Biswas situated at Village Datiana, Distt. Muzaffarnagar, transferred for an apparent consideration of Rs. 47,625/-.

R. P. BHARGAVA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 6-6-1978

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 1st July 1978

Ref. No. Acq/1541-A/M.Nagar/77-78/2007.—Whereas, I, R. P. BHARGAVA
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Muzaffarnagar on 30-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

**(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

**Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—**

(1) Smt. Satya Bhargava
W/o Dr. Suraj Bhan Bhargava,
R/o 271, Civil Lines Northern
Distt. Muzaffarnagar.

(Transferor)

(2) S/Shri Ravindra Kumar, Anil Kumar, Pravin Kumar Bipin Kumar and Atul Kumar (Minor)
Under Guardianship of Smt. Sarla Devi, Mother
All sons of Kailash Chand
R/o Baghra, Present : 36, Gher Kaleram,
Distt. Muzaffarnagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of plot of land measuring 695.80 sq. yds. situated at Kalapar Near Main G.T. Road, Distt. Muzaffarnagar, transferred for an apparent consideration of Rs. 69,140/-.

R. P. BHARGAVA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 1-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 21st July 1978

Ref. No. Acq/1653-A/Meerut/77-78/2102.—Whereas, I, L. N. GUPTA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 19-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sardar Nirlap Singh s/o S. Gulab Singh
R/o A-6, Jawahar Quarters,
Meerut City.
(Transferor)

(2) Dr. Satveer Singh Dhillan & Sons,
S/o Ch. Neer Singh,
R/o Chipi Tank,
Meerut.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Immovable property consisting of plot of land measuring 701 sq. yds. situated at Civil Lines, Meerut City, transferred for an apparent consideration of Rs. 77,000/-.

L. N. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 21-7-1978
Seal :

FORM ITNS-------

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 29th May 1978

Ref. No. SI 447/TR-186/C-171/Cal-1/77-78.—Whereas, I, P. P. SINGH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing No.
3A situated at Ripon Street, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Govt. Place North, Calcutta on 26-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Hiralal Roychowdhury,
D 59/1B, Mahamoorgunj, Sheopurwa,
Varanasi.

(Transferor)

(2) Smt. Vasanti Mahidhar,
93, Simla Street, Calcutta.

(Transferee)

(3) 1. M/s. Deen Bros.,
2. Mohammadullah

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that undivided half share in one-storeyed building with outhouses containing an area of 9 Cottah 11 Chhitack more or less being premises No. 3A, Ripon Street, Calcutta transferred under Deed No. I-5345 of 1977 and registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

P. P. SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Calcutta

Date : 29-5-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)
GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 29th May 1978

Ref. No. Sl.448/TR-187/C-172/Cal-1/77-78.—Whereas, I, P. P. SINGH
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
3A situated at Ripon Street, Calcutta
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
5, Govt. Place North, Calcutta on 26-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

15—206 GI/78

(1) Sri Hiralal Roychowdhury,
D 59/1B, Mahamoorgunj, Sheopurwa,
Varanasi.
(Transferor)

(2) Smt. Mulji Mahidhar,
93, Simla Street, Calcutta.
(Transferee)

(3) 1. M/s Deen Bros.,
2. Mohammadullah
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that undivided half share in one-storeyed building with outhouses containing an area of 9 Cottah 11 Chhitack more or less being premises No. 3A, Ripon Street, Calcutta transferred under Deed No. I-5346 of 1977 and registered with the Registrar of Assurances, Calcutta.

P. P. SINGH,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Calcutta

Date : 29-5-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 27th June 1978

Ref. No. AC-19/Acq.R-IV.Cal/78-79 —Whereas, I, P. P. SINGH
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Holding No. 98, Ward of V, Siliguri
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Siliguri on 18-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in persuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Piyarelal Agarwalla & Co.

(Transferor)

(2) Brijlal Agarwalla.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 1000 sft. (physically undivided 1/3rd share of land measuring 4.17 cottahs) together with undivided 1/3rd share of two storeyed building situated at holding No. 98, Ward V of Siliguri Municipality, Siliguri, Darjeeling more particularly as per deed No. 6417 dated 18-11-1977.

P. P. SINGH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition RangeIV,
54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta.

Date : 27-6-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 7th July 1978

Ref. No. AC-20/Acq/R-IV/Cal/78-79.—Whereas, I, P. P. SINGH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 175/W situated at

Maniktola Main Road, Calcutta-54

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Scaldah on 19-11-1977

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the

aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Sri Malli Nath Roy
2. Sri Somnath Roy
3. Sm. Sailaja Roy
4. Sm. Sipra Gupta
5. Sm. Nandita Roy and
6. Sm. Enakshi Roy

(Transferor)

(2) 1. Sri Satya Das Lahiri and
2. Sri Amiya Nath Lahiri

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immoveable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 11K. 8Ch. 30Sft. together with building thereon situated at 175/W Maniktola Main Road, P.S. Phulbagan, Calcutta-54.

P. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 7-7-1978

Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 10th July 1978

Ref. No. 408/Acq.R-III/78-79/Cal.—Whereas, I, KISHORE SEN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding RS. 25,000/- and bearing No. 2, Mandeville Gardens, Calcutta situated at Mandeville Gardens, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 30-11-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Saloni Ownership Flats Schemes (P) Ltd., Office at 6, Harrington Street, Calcutta-16.

(Transferor)

(2) Sm. Madhulekha Sen, 13, Ekdalia Place, Calcutta.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within the period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

All that entire flat No. A on the 2nd floor in the building named "Jay Jayanti" situated at 2, Mandeville Gardens, Calcutta.

KISHORE SEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Calcutta
54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 10-7-1978
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 10th July 1978

Ref. No. 409/Acq.R-III/78-79/Cal.—Whereas, I, KISHORE SEN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceedings Rs. 25,000/- and bearing No. 2, situated at Mandeville Gardens, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 30-11-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Saloni Ownership Flats Schemes (P) Ltd., Office at 6, Harrington Street, Calcutta-16.

(Transferor)

(2) Sm. Madhulekha Sen, 13, Ekdalia Place, Calcutta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that entire flat No. C on the 2nd floor of the building named "Jay Jayanti" situated at 2, Mandeville Gardens, Calcutta.

KISHORE SEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 10-7-1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 20th July 1978

Ref. No. AC-21/Acq.R-IV/Cal/78-79.—Whereas, I, P. P. SINGH being the competent authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2 situated at Belur Road, Dist. Howrah (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 5-11-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby intiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri Gouri Shankar Mohta. (Transferor)

(2) M/s. Chiranjilal Gouri Shankar & Co. (Transferee)

(3) Brij Kishore Sahay & Hari Kishore Sahay. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 2 bighas 3 cottahs 9 chittaks together with building, structures, erections, godowns etc. situated at premises No. 3 (Old) now 2, Belur Road, P.S. Bally, Dist. Howrah more particularly as per deed No. 5079 dated 5-11-1977.

P. P. SINGH,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-IV, Calcutta
54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16.

Date : 20-7-1978
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 2nd August 1978

Ref. No. Sl.455/TR-208/C-191/Cal-1/77-78.—Whereas, I, I. V. S. JUNEJA, being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 13, situated at Bankim Chatterjee Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Govt. Place North, Calcutta on 23-12-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sri Sisir Chandra Dey & Ors., 40-F, Bhupendra Bose Avenue, Calcutta.

(Transferor)

(2) 1. Sri Sudhangshu Sekhar Dey
2. Sri Subhas Chandra Dey
31/1/B, Mahatma Gandhi Road, Calcutta.

(Transferee)

(3) 1. M/s Kalikata Pustakalaya
2. M/s. Dey Book Stores
3. J. N. Chakraborty

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 1/6th share of premises No. 13, Bankim Chatterjee Street, Calcutta being three storied building on land measuring 6K—9Ch—37sq. ft. more or less and registered with Registrar of Assurances, Calcutta under Deed No. I-5904 of 1977.

I. V. S. JUNEJA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-116.

Date : 2-8-1978
Seal :

FORM ITNS—— —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,

CALCUTTA

Calcutta, the 2nd August 1978

Ref. No. Sl.454/TR-209/C-191/Cal-1/77-78 —Whereas, I, I. V. S. JUNEJA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 13, situated at Bankim Chatterjee Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Regstration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at 5, Govt Place North, Calcutta on 23-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

'a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

'd) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Taru Bala Dey,
69, Rabindra Nath Thakur Road,
Dakshinswar.

(Transferor)

(2) 1. Sri Sudhangshu Sekhar Dey
2 Sri Subhas Chandra Dey
31/1/B, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta.

(Transferee)

(3) 1. M/s. Kalikata Pustakalaya
2. M/s. Dey Book Stores
3. J N. Chakraborty

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Undivided 1/6th share of premises No. 13, Bankim Chatterjee Street, Calcutta being three storied building on land measuring 6K—9Ch—37Sqft. more or less and registered with Registrar of Assurances, Calcutta under Deed No. I-5903 of 1977.

I. V. S. JUNEJA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I
54 Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-16

Date : 2-8-1978
Seal :

**FORM ITNS——**

**NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD

Ahmedabad-380009, the 16th June 1978

Ref. No. P.R. No. 589 Acq. 23-1004/6-1/77-78.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Tikka No. A--19/2, Sur. No. 27/2, situated at Fatehpura Main Road, Baroda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Baroda on 9-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the 'said Act', or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Manubhai Dahyabhai Patel and another, Tundav, Tal. Savli, Jilla Baroda.
(Transferor)

(2) The Vinay Kelwani Trust; Fatehpura, Main Road, Baroda.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A three stored building standing on land admeasuring 1607 sq. ft. bearing Tikka No. A-19/2, sur. No. 27/2 situated at Fatehpura Main Road, Baroda and as fully described in sale-deed No. 299 dated 9-11-77 and registered by Sub-Registrar, Baroda.

S. C.PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II AHMEDABAD

Date : 16th June, 1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD

Ahmedabad-380009, the 16th June 1978

Ref. No. P.R. No. 590 Acq.23-1030/198/77-78.Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Sur. No. 44, Ward No. 13, Athwa, Surat
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat on 3-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shantilal Rangildas Khandwala, Khandwala-ni-Sheri, Vadi Falia, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Chandravadan Ishwarlal Parekh and others, "Ishwar Smruti",
Dana Pith, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land admeasuring 877 sq. yds. bearing Athwa Nondh No. 44, Ward No. 13, situated at Athwa, Surat and as fully described in sale-ded No. 2921 dated 3-11-17 and registered by Sub-Registrar, Surat.

S. C. PARIKH,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date : 16th June, 1978
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 13th July 1978

Ref No. V-39/Acq.—Whereas, I, A. S. BISEN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and Part of house bearing No. 578 Mohalla –Sahukara, situated at Bareilly (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bareilly on 30-11-1977 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent, consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely :—

(1) Shri Sahu Jagdish Kumar Agarwal (Transferor)

(2) Shri Vishnu Kumar (Transferee)

(3) Transferor (as per 37-G). (Person in occupation of the property)

(4) Kishan Lal Varshney & others (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of House No. 578 Mohalla—Sahukara, Bareilly measuring Aaraz) 660 sq. yards and all that description of the property which is mentioned in Form 37-G No. 5195 and Sale—Deed duly registered at the office of the Sub-Registrar Bareilly on 30-11-77.

A. S. BISEN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 13-7-1978.
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 7th July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1067.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason
to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Indore on 24 November, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to
between the parties has not
been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Vijaykumar s/o Shri Pandurang Baviskar, through Aam Mukhtyar Shri Pandurang Radho Baviskar, r/o 28/1, North Raj Mohalla, Indore.

(Transferor)

(2) Parasmal s/o Shri Kanhaiyalal Mehta r/o 20/3, North Raj Mohalla, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter;

THE SCHEDULE

Part of Municipal House No. 13, North Raj Mohalla, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rage, Bhopal

Date : 7-7-1978.

Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 7th July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1068.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B,
of the Income-tax Act., 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Indore on 5-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tarnsferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Sow. Sumatibai w/o Shri Govindrao Deshmukh, r/o 2, Kabutar Khana, Indore.

(Transferor)

(2) Sow. Rajkumari w/o Shri Mangal—Kumarji, r/o 46, Lodhipura, No. 1, Indore.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Municipal House No. 2, Kabutar Khana, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rage, Bhopal

Date : 7-7-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 7th July 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79/1069.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority,
under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Property situated at Sheopur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sheopur on 17-11-1977
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhagwandas s/o Shri Jagannath Agarwal, through Power of Attorney Shri Rameshchandra s/o Shri Bhagwandas Agarwal, r/o Sanyogitaganj, Indore.

(Transferor)

(1) 1. Shri Chothmal; 2. Purshottamdas; & 3. Shri Balkrishna, all sons of Shri Lakhmichand Saraf, all r/o City Sheopur, Kala, Distt. Morena.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agrl. land area 7.14 Bigha with diverted land area 1.19 Bigha, with house and well thereon, situated at Kasba Sheopur, Distt. Morena.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rage, Bhopal

Date : 7-7-1978.
Seal :

**FORM ITNS———**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1081/78-79.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Indore on 14-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Ashvinkumar s/o Rasiklal & Mukesh Kumar s/o Rasiklal, both r/o House No. 44, Bada Sarafa, Indore.

(Transferor)

(2) Smt. Ushadevi w/o Shri Kailashchandarji Jain, r/o Junapitha Main Road, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 19, situated at Mirapath, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rage, Bhopal

Date : 3-8-1978.

Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1082/78-79.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer
at Indore on 14-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ramlal s/o Gangaram Bhatia, r/o 9/1, North Raj Mohalla, Indore.

(Transferor)

(2) Smt. Rambhabai w/o Vardichand Jain, r/o Gram Chhayan Teh. Badnawar, Distt. Dhar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 8/4; Street No. 8, Mahesh Nagar, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rage, Bhopal

Date : 3-8-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1083/78-79.—Whereas, I, R. K. BALI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Indore on 20-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Akila Begum w/o Mohd. Ayubkhan 110/1, Juna Risala, Indore.
(Transferor)

(2) Shri Hotaldas s/o Harsumal Jhamnani, 55, Badwali Chowki, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land bearing Municipal No. 55, Badwali Chowki, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rage, Bhopal

Date : 3-8-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1084/78-79.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Structure situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 27-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Raj Limeoxide Factory, 91, Industrial Estate, Indore.

(Transferor)

(2) M/s Suneeta Laboratories Ltd., 89 & 90, Industrial Estate, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with in a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Structures on Plot No. 91, Industrial Estate, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rage, Bhopal

Date : 3-8-1978.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1085/78-79.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding exceeding Rs. 25,000/- and bearing
House situated at Alirajpur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Alirajpur on 1-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tansferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Kishanlal s/o Hiralalji Maheshwari, Gram Dudhia, Taluka Limkheda, District Panchmahal, Gujarat.

(Transferor)

(2) S/Shri Radheyshyam & Prahladdas, both sons of Shri Mishrilalji Bedia, R/o Alirajpur.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 96, Mahatama Gandhi Marg, Ward No. 10, Alirajpur (M.P.).

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rage, Bhopal

Date : 3-8-1978.
Seal :

**FORM ITNS——**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd August 1978

Ref No. IAC/ACQ/BPL/1086/78-79.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House situated at Ujjain
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Ujjain on 1-12-1977 for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gendalal s/o Narayanji Kota Wale, Caste Brahmin, r/o Station Road, Ujjain.

(Transferor)

(2) 1. M/s. Durgaparasad Mohanlal, Station Road, Ujjain, 2. Shri Durgaparasad; 3. Shri Ramnarayan, both sons of Murlidharji & 4. Shri Mohanlal s/o Ramnarayanji, r/o Station Road, Ujjain.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House bearing Municipal No. 1 : 166, New No. 33, Subhash Marg, Station Road, Ujjain.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rage, Bhopal

Date : 3-8-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79.—Whereas, I R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot situated at Indore
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 1-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid
property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Kanhaiyalal Jessaram, Jaora Compound, Indore.
(Transferor)

(2) 1. Smt. Indrawati w/o Jeewen Prakash, 2. Jalnadevi w/o Omprakash, R/o Ravindranath Tagore Marg, Indore.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 121, New Mandi, Indore.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 3-8-1978.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/78-79.—Whereas, I, R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Agrl. Land situated at Vill. Sewania Gond, Teh. Hazur Dist. Bhopal.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhopal on 7-12-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons namely .—

(1) Shri Kanhaiyalal s/o Prabhu Dayal, r/o village Sewania Gond (near Bhadbhada), Teh. Hazur, Dist. Bhopal.

(Transferor)

(2) Shri Dilip P. Goculdas s/o Pratapsingh Goculdas, r/o 12 French Bridge, Chowpatty, Bombay 400007.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land area 10.07 Acre, bearing Khasra Nos. 60 and 61/1, in Village Sewania, Gond, Teh. Hazur, District Bhopal.

R. K. BALI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rage, Bhopal

Date : 3-8-1978.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL M.P.

Bhopal, the 3rd August 1978

Ref. No. IAC/ACQ/BPL/1089/78-79.—Whereas, I R. K. BALI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Plot situated at Bhopal
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bhopal on 14-12-1977
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Damyanti Bhatnagar w/o Dr. Bhagwan Swarup Bhatnagar, Civil Lines, Raipur.

(Transferor)

(2) Smt. Subhadra Agnihotri w/o Shri Ramkishore Agnihotri, Rctd. Officer, State Bank of India, Seoni Malwa, Hoshangabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. E—3/67, Capital Project, Bhopal Circle No. 40/1-5-74, Jhone 9, Division Bhopal.

R. K. BALI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bhopal

Date : 3-8-1978.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 31st July 1978

Ref. No. KNL/54/77-78.—Whereas, I, RAVINDER KUMAR PATHANIA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot of land measuring 1298 sq. yds. situated at Railway Road,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Karnal in November 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) (i) Shri Rameshwar Dass s/o Sh. Ganda Ram,
(ii) S/Shri Nand Kishore, Rakesh Kumar Rajan Kumar ss/o Smt. Shakuntla Devi.
(iii) Saneh Lata, Rekha daughter of Shri Rameshwar Dass, R/o Karnal.

(Transferor)

(2) Shri Mam Chand Gupta s/o Shri Jai Bhagwan c/o Gupta Photo Studio Sarafa Bazar, Karnal.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 1298 sq. yards situated at Railway Road, Karnal.
(Property as mentioned in the sale deed registered at Sr. No. 4698 dated 15-11-1977 with the Sub-Registrar, Karnal).

RAVINDER KUMAR PATHANIA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Chandigarh, Rohtak

Date : 31-7-1978.
Seal :

FORM ITNS———

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SONEPAT ROAD, ROHTAK

Rohtak, the 31st July 1978

Ref. No. KNL/55/77-78.—Whereas, RAVINDER KUMAR PATHANIA.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Rohtak.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Plot of land measuring 1347 sq. yds. situated at Railway Road, Karnal.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Karnal in November, 1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per-cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability

(1) (1) Sh. Rameshwar Dass s/o Sh. Genda Ram,
(2) Sh. Nand Kishore, Rakesh Kumar Rajan ss/o Smt. Shakuntla Devi.
(3) Saneh Lata, Rekha Daughters of Shri Rameshwar Dass, R/o Kernal.

(Transferor)

(2) Smt Vidya Wati w/o Shri Bhagwan Dass, R/o A-479, Sadar Bazar, Karnal.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 27th July 1978

Ref. No. IAC/(Acq)/Raj./426.—Whereas, I, M. P. VASISHTHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
—situated at Langer ke Balaji, JPR
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jaipur on 24-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer

(1) M/s. Radhavallabh S/o Babulal Tibewerewala self & GPA Shri Satyanarain Jhabermal & others partners Rajasthan Weaving mills, 201 Kalba Devi Road, Bombay-2.

(2) Ram Sharan Agrwal S/o Sh. Jagdish Narain Agarwal through guardian Sh. Jagdishnarain Sindhi camp, Station Road, Jaipur.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX.
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 27th July 1978

Ref. No. IAC(Acq.)/Raj./427.—Whereas, I, M. P. VASISHTHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
— situated at Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 24-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Radhavallabh S/o Babulal Tibewerewala, self & GPA Sh. Satyanaram Jhabermal & others partners Rajasthan Weaving Mills, 201 Kalba Devi Road, Bombay-2.

(Transferors)

(2) Shri Girraj Prasad S/o Dwarka Dass Plot No. D-49, Jyoti Marg, Bapu Nagar, Jaipur.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Piece of land on the east side of big gate building situate at Rasta Langer ke Balaji Ka and morefully described in the conveyance deed registered by S.R. Jaipur vide his No. 2207 dated 24-11-1977.

M. P. VASISHTHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 27th July, 1978.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 27th July 1978

Ref. No. IAC/(Acq)/Raj./428.—Whereas, I, M. P. VASISHTHA,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
situated at Jaipur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Jaipur on 31-12-77
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) M/s. Radhavallabh S/o Babulal Tibewerewala self & GPA Shri Satyanaraun Jhabermal & others partners Rajasthan Weaving mills, 201 Kalba Devi Road, Bombay-2.

(Transferor)

(2) Shri M/s. Laxminarain Radheshyam Kabra through its partners Laxminarain, Radhyeshyam, Sriram & Gajanand, Chhoti Chopper, Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Big gate building Rasta Langer ke Balaji Ka and morefully described in the conveyance deed registered by S.R., Jaipur vide his No. 2538 dated 31-12-77.

M. P. VASISHTHA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 27th July, 1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 27th July 1978

Ref. No. IAC(Acq.)/Raj./429.—Whereas, I, M. P. VASISHTHA,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
situated at No. 128-Ind. Area, JPR
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Jaipur on 3-12-77
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. Shah Engineering Pvt, Ltd; Jhotwara Industries Area Jhotwara, Jaipur.

(2) M/s. Incon (India) Ltd; No. 128, Industries Area, Jhotwara, Jaipur.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Situate at plot No. 128, Jhotwara Industries Area Jaipur and morefully described in the conveyance deed registered S. R., property by Jaipur vide his No. 2273 dated 3-12-77.

M. P. VASISHTHA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur

Date : 27th July, 1978.
Seal :

**FORM ITNS—**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 30th June 1978

Ref. No. AR-II/2525-3/Nov 77.—Whereas, I, G. A. JAMES,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Part of Malad City S. No. 641 Tika No. 79 Chalta Nos. 641/1 to 641/11 situated at Malad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908
(16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 1-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Annapurnabai Himatlal Mehta

(Transferor)

(2) M/s. Top Built Cooperative Housing Society Ltd.

(Transferee)

Person in occupation of the property.

(3) 1. Shri Revashankar D. Mehta 2. Smt. Shardaben R. Desai 3. Shri Hemraj H. Karani 4. Smt. Vasumatiben H. Patel 5. Shri Kalyanji Ponshi Shah 6. Shri Bhavarlal S. Bafna. Shri Navinchandra K. Shah 8. Shri Jaysinh C. Ved 9. Shri Bhalchandra A. Trivedi 10. Shri Kantilal R. Ghedia 11. Shri Bharat D. Parekh 12. Shri Ajitsinh M. Ramaiya 13. Shri Harilal T. Vadera 14. Shri Bhogilal A. Shah 15. Smt. Bhanumati R. Suchak.

Person whom the undersigned known to be interested in the property.

(4) Shri Revashankar D. Mehta 2. Smt. Sharadaben Ramanlal Desai 3. Shri Hansraj Hemraj Karani 4. Smt. Vasumati Harishchandra Patel 5. Shri Kalyanji Punshi Shah 6. Shri Navinchandra Keshavlal Shah 7. Shri Bhanvarlal Sheshmal Bafna 8. Shri Jaisinh Charandas Ved 9. Shri Bhalchandra Amritlal Trivedi -0. Shri Kantilal Ramji 11. Shri Bharat Dwarkadas Parikh 12. Shri Madhusudan H. Mehta 13. Shri Devendra H. Mehta 14. Shri Bhagilal Ambalal Shah 15. Smt. Bhanumati R. Suchak.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

All that piece ord parcel of land forming part of land known by the name of "Marwadi" and "Nawghar" situate at Malad, Port Tukdi, Bandra, Taluka Salsette, in the Registration Sub-District of Bandra, District Bombay Suburban containing by admeasurement 870 sq. yds. equivalent to 727 sq. mtrs. forming part of Malad City Survey No. 641 and Tika No. 79 and Chalta Nos. 641/1 to 641/11 with the building standing thereon known as "Anand Niwas" and assessed by the Assessor and Collector of Municipal Corporation of Greater Bombay under P Ward No. 5493-5499/73/2-3 Kasturba Cross Lane and G.R.W. No. P-5497 and bounded as follows : that is to say on or towards the North by a passage, on or towards the South by Malad City Survey No. 642 and 643, on or towards the West by City Survey No. 641 (part) and on or towards the East by a Road.

G. A. JAMES,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II Bombay

Date : 30-6-1978.
Seal :

[FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 12th July 1978

C. R. No. 62/14387/78-79/ACQ/B.—Whereas, I, J. S. RAO, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing
Vacant Building corner site bearing No. 48/41 situated at Rajamahal vilas Extension, 8th Main Road, Bangalore (Corporation Division No. 45).
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Gandhinagar, Bangalore Doc. No. 2389/77-78 on 21-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Sri K. S. Sridharan, S/o, Sri K. N. Seshadri Iyengar, No. 27, II. O. Samaja Road, Basavangudi, Bangalore-4.

(Transferor)

(2) Sarala Rani, W/o Mr. B. Dass, No. 11, Basappa Road, Shanthinagar, Bangalore-27.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 2389/77-78 Dated 21-11-77]
Vacant building corner site bearing No. 48/41, Rajamahal vilas Extension, 8th Main Road, Bangalore.
*Boundries* :
East : Site No. 41
West : Road,
North : Site No. 47 and
South : Road.

J. S. RAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 12-7-1978.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BANGALORE-27

Bangalore-27, the 12th July 1978

C. R. No. 62/14299/78-79/ACQ/B.—Whereas, I, J. S. RAO, Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range, Bangalore

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Vacant corner building site bearing No. 192 situated at Mysore Sub-Area Officers' Housing Colony, 6th Main Road, 3rd Cross Binnamangala Layout, Bangalore-38

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the

Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Shivajinagar, Bangalore Doc. No. 2292/77-78 on 12-12-77 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of an income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Comdr. N. R. Rao, S/o. Sri H. Naravana Rao, 314, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore-3.

(Transferor)

(2) Vijay C. Kapoor, s/o. late Sri Harnamdas Kapoor, 17/A, Ulsoor Road, Bangalore-8.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

[Registered Document No. 2292/77-78 Dated 12-12-77]

Vacant corner building site bearing No. 192, Binnamangala Layout, Mysore-Sub-Area Officers housing colony, 6th Main Road, 3rd cross, Bangalore-38.

*Boundries* :
West : Site No. 193
East : 3rd cross Road.
North : Site No. 180
South : 6th Main Road.

J. S. RAO,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bangalore

Date : 12-7-1978.

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI-110001

New Delhi, the 1st August 1978

Ref. No. IAC.Acq.I|SR-III/195/Nov./77-78.—Whereas I, J. S. GILL.
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
C-42, situated at Kailash Appartments, New Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at New Delhi on 3.11.1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Ved Prakash S/o L. Bishan Chand, R/o X-25, Hauz Khas Enclave, N. Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Satishwar Dayal Galgotia, S/o Shri Bireshwar Dayal Galgotia, R/o A/15A, Hauz Khas Enclave, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A residential plot No. 42 on 4th floor in residential Multi storyed building known as Block-C in Kailash Apartments opposite, Lady Sri Ram College New Delhi.

J. S. GILL,
K. S. VENKATARAMAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 1-8-1978
Seal :

FORM ITNS ------

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI-110001

New Delhi, the 31st July 1978

Ref. No. IAC.Acq.I/SR-III/200/Nov. I(18)/77-78/1894.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
C-IV/91 situated at Daya Nand Colony (Lajpat Nagar), N. Delhi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at New Delhi on 5-11-1977
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; **and/or**

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the **Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);**

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Amrit Lal Kochar S/o Sh. Daulat Ram, R/o L-26, Kalkaji, N. Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Pawan Kumar Jain E/o Sh. Rattan Lal Jain, C-IV/91, (Daya Nand Colony), New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house No. C-IV/91, measuring 100 sq. yds. situated at Daya Nand Colony, New Delhi.

J. S. GILL,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 31-7-1978.
Seal .

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI-110001

New Delhi, the 31st July 1978

Ref. No. IAC Acq. I/SR-III/201/Nov. I/(19)/77-78/1894.—Whereas, I, J. S. GILL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
E-II/38, situated at Lajpat Nagar, New Delhi.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 5-11-1977
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Basant Lal Hariasra S/o late Sh. Harbux Rai R/o 24, Central Vista Hotel, Dr. Rajindera Prasad Road, New Delhi.
(Transferor)

(2) Ravi Kumar Setia S/o Sh. Murari Lal Setia, J-4, Jangpura, N. Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An immovable property bearing No. E-II/38 (Eastern Portion) Measuring 100 sq. yards situated at Lajpat Nagar, New Delhi and found as under :

East : Property No. E-II/37
West : Property No. E-II/38 Lajpat Nagar. (Western portion)
North : Service Lane
South : Main Road

J. S. GILL,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Delhi/New Delhi

Date : 31-7-1978.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III, 4/14A, ASAF ALI ROAD, New Delhi-110001

New Delhi-110001, the 5th August 1978

Ref. No. IAC/Acq-III/Nov/798/77-78/2005.—Whereas I, D. P. GOYAL,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to
believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No.
(As per Schedule) situated at Village Chhattarpur, Teh. Mehrauli, New Delhi-30
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
New Delhi on 23-11-78
for an apparent consideration which is less
than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Karan Singh S/o Smt. Kamaljit Kaur through his General Attorney Smt. Kamaljit Kaur, R/o A-603, Curzon Road Apartments, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Dev Pratap Singh S/o Sh. I. P. Singh R/o D-48, Hauz Khas, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 19 Bighas and 16 Biswas bearing Khasra Nos :

| | | |
|---|---|---|
| 1800/1 | (Min) | 1 Bigha 1 Biswa |
| 1800/2 | (Min) | 1 Bigha 2 Biswas |
| 1800/3 | (Min) | 1 Bigha 2 Biswas |
| 1802/1 | (Min) | 1 Bigha 11 Biswas |
| 1802/2 | (Min) | 1 Bigha 18 Biswas |
| 1803/1 | (Min) | 4 Bighas 16 Biswas |
| 1808 | (Min) | 4 Bighas 16 Biswas |
| 1809/2 | (Min) | 3 Bighas 8 Biswas |
| | | 19 Bigha 16 Biswa |

situated at Village Chattarpur D.L.F. Farm Area, Tehsil : Mehrauli, New Delhi-30.

D P GOYAL.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Delhi/New Delhi.

Date : 5th August 1978
Seal :

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978